रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33001/99 REGISTERED NO. D. L.—33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 12, 1999/ज्येष्ठ 22, 1921
No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 12, 1999/JYAISTHA 22, 1921

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 27 मई, 1999

सा.का.नि. 179.—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात् एतद्द्वारा अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1999 है ।

(2) ये नियम इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 के नियम 1 ग के उप नियम (1) में मद (i) तथा (ii) के लिए निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

(i) मोटर कार की खरीद के लिए एक लाख दस हजार रुपये तथा मोटर साइकिल स्कूटर अथवा मोपेड की खरीद के लिए बीस हजार रुपये बशर्ते कि मोटरकार अथवा मोटरसाइकिल अथवा स्कूटर अथवा मोपेड की खरीद के लिए ग्राह्य अग्रिम राशि तथा भविष्य निधि खाते से आहरित राशि खरीदे जाने वाले प्रस्तावित वाहन की कीमत से अधिक नहीं हो ।

(ii) मोटर कार की बुकिंग अथवा मोटर कार की मरम्मत अथवा पूरी मरम्मत (ओवर हालिंग) के लिए दस हजार रुपये तथा मोटर साइकिल अथवा स्कूटर अथवा मोपेड की बुकिंग के लिए पांच हजार रुपये ;

[संख्या 11026/3/98-अ.भा.से. III]

भरत प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पणी :— मूल नियम भा.प्र.से. 1980 के अन्तर्गत दिनांक 12-09-55 के भारत के राजपत्र भाग-II खंड (3) उपखंड (i) में दिनांक 12-09-55 की अधिसूचना संख्या 12/1/54-अ.भा.से.-III द्वारा प्रकाशित किए गए तथा बाद में इसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

क्र. संख्या	अधिसूचना	तारीख	भा.का.नि. संख्या	तारीख
1	2	3	4	5
1.	13/8/56-अ.भा.से. (III)	21-1-57	275	26-1-57
2.	13/2/57-अ.भा.से.-III	12-3-57	855	23-3-57
3.	13/38/56-अ.भा.से.-III	02-5-57	1429	11-5-57
4.	13/25/57-अ.भा.से.-III	23-7-57	2405	27-7-57
5.	13/28/56-अ.भा.से.-III	31-7-57	2543	10-8-57
6	13/34/56-अ.भा.से.-III	14-11-57	3701	23-11-57
7.	13/62/57-अ.भा.से. -III	11-2-58	30	22-2-58
8.	13/12/57-अ.भा.से.-III	13-2-58	31	22-2-58
9.	13/11/57 अ.भा.से.-III	20-2-58	62	1-3-58
10.	13/9/58-अ.भा.से.-IIIक	14-5-58	401	24-5-58
11.	13/29/57-अ.भा.से.-IIIक	27-5-58	407	7-6-58
12.	13/43/57-अ.भा.से.-III	27-6-58	545	5-7-58
13.	8/8/58-अ.भा.से.-III	30-5-59	652	6-6-59
14.	5/10/59-अ.भा.से.-II	19-8-59	982	29-8-59
15.	8/34/57-अ.भा.से.-II	21-7-59	850	25-7-59
16.	5/3/64-अ.भा.से.-IIक	15-7-64	1067	1-8-64
17.	29/64/64-अ.भा.से.-II	13-8-65	1175	21-8-65
18.	6/5/63-अ.भा.से. IIक	6-2-66	216	12-2-66
19.	5/28/66-अ.भा.से.-II	12-12-66	1913	27-12-66
20	5/21/64-अ.भा.से.-II	10-10-67	1549	21-10-67
21.	5/5/77-अ.भा.से.-IIक	10-10-67	1598	28-10-67
22.	5/22/67-अ.भा.से.-IIक	18-3-68	584	30-3-68
23.	5/1/68-अ.भा.से.-IIक	29-11-68	2135	28-11-68
24	5/15/69-अ.भा.से.-II	1-1-70	55	10-1-70
25.	5/18/69-अ.भा.से.-II	22-8-70	1268	1-9-70
26.	5/14/70-अ.भा.से.-III	2-4-71	536	17-4-71
27.	5/12/68-अ.भा.से.-IIक	3-2-72	234	19-2-72
28.	5/8/71-अ.भा.से.-II	9-2-72	249	26-2-72
29.	11/20/72-अ.भा.से.-II	23-3-73	310	31-3-73
30	11/26/72-अ.भा.से.-II	30-3-73	353	7-4-73

31.	11/24/73-अ.भा.से.-II	5-3-74	282	23-3-74
32.	10/1/74-अ.भा.से.-II	3-12-74	317	14-12-74
33.	7/1/73-अ.भा.से.-III(i)	2-1-75	41	18-1-75
34.	10/2/74-अ.भा.से.-III	6-2-75	222	22-5-75
35.	11026/1/75-अ.भा.से.-III	16-4-75	515	26-4-75
36.	11026/2/75-अ.भा.से.-III	20-4-76	630	8-5-76
37.	11026/8/75 अ.भा.से. III	22-4-76	631	8-5-76
38.	11026/4/76 अ.भा.से. III	21-11-77	1657	10-12 77
39.	11026/6/76 अ.भा.से. III	28-11-78	1491	16-12-77
40.	11026/4/78 अ.भा.से. III	28-11-78	1492	16-12 78
41.	11026/4/77 अ.भा.से. III	14-2-79	295	24-02-79
42.	11026/11/78 अ.भा.से. III	4-8-79	1081	25-8-79
43.	11026/11/77 अ.भा.से. III	27-11-79	1529	28-12-79
44	11026/9/79 अ.भा.से. III	12-1-80	346	29-3-80
45.	11026/11/79 अ.भा.से. III	25-9-80	1048	11-10-80
46.	11026/4/80 अ.भा.से. III	14-10-80	1133	1-11 80
47.	11026/3/79 अ.भा.से. III	5-11-70	1209	22-11-80
48.	11026/7/79 अ.भा.से. III	17-11-80	1235	6-12-80
49.	11026/4/82 अ.भा.से. III	16-10-82	890	30-10-82
50.	11026/2/81 अ.भा.से. III	6-7-83	531	23-7-83
51.	11026/15/83 अ.भा.से. III	23-9-83	733	8-10-83
52.	11026/18/83 अ.भा.से. III	27-6-84	741	14-7-84
53.	11026/19/84 अ.भा.से. III	17-4-85	438	4-5-85
54.	11026/20/81 अ.भा.से. III	22-5-85	531	8-6-85
55.	11026/19/83 अ.भा.से. III	22-7-85	710	3-8-85
56.	11026/12/84 अ.भा.से. III	16-1-86	82	1-2-86
57.	11026/15/84 अ.भा.से. III	22-10-86	932	1-11-86
58.	11026/7/76 अ.भा.से. III	7-3-88	255	9-4-78
59.	11026/5/90 अ.भा.से. III	6-3-93	—	—
60.	11026/2/95 अ.भा.से. III	23-12-96	157	22-3-97

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 27th May, 1999

G.S.R. 179.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Government of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the All India Service (Provident Fund) Rules, 1955, namely :—

1. (1) These Rules may be called the All India Service (Provident Fund) Amendment Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955, in rule 14C, in sub-rule (1), for items (i) and (ii), the following items shall be sub-stituted, namely :—

(i) rupees one lakh and ten thousand for purchase of motor car and rupees twenty thousand for the purchase of motor cycle, scooter or moped.—Provided that the advance admissible for purchase of motor car or motor cycle or scooter or moped plus the withdrawal from the provident fund account does not exceed the cost of the vehicle proposed to be purchased.

(ii) rupees ten thousand for booking of motor car or repair or over hauling of motor car and rupees five thousand for booking motor cycle or scooter or moped; or

[No. 11026/3/98-AIS(III)]
BHARAT PRASAD, Under Secy.

Note : Principal Rules published vide Notification No. 12/1/54-AIS.II, dated 12-9-55; Gazette of India Extraordinary dated 12-9-55 Part II, Section 3, Sub-section (i) under SRO 1980, Subsequently amended :

S. No.	Notification	Date	GSR No.	Date
1	2		3	4
1.	13/8/56-AIS(III)	21-1-57	275	26-1-57
2.	13/2/57-AIS.III	12-3-57	855	23-3-57
3.	13/38/56-AIS.III	2-5-57	1429	11-5-57
4.	13/25/57-AIS.III	23-7-57	2405	27-7-57
5.	13/28/56-AIS.III	31-7-57	2543	10-8-57
6.	13/34/56-AIS.III	14-11-57	3701	23-11-57
7.	13/62/57-AIS.III.	11-2-58	30	22-2-58
8.	13/12/57-AIS.III	13-2-58	31	22-2-58
9.	13/11/57-AIS.III	20-2-58	62	1-3-58
10.	13/9/58-AIS.IIIA	14-5-58	401	24-5-58
11.	13/29/57-AIS.III A	27-5-58	407	7-6-58
12.	13/43/57-AIS.II	27-6-58	549	5-7-58
13.	8/8/58-AIS.III	30-5-59	652	6-6-59
14.	5/10/59-AIS.II	19-8-59	982	29-8-59
15.	8/34/57-AIS.II	21-7-59	850	25-7-59
16.	5/3/64-AIS.II.A	15-7-64	1067	1-8-64
17.	29/64/64-AIS.II	13-8-65	1175	21-8-65
18.	6/5/63-AIS.II.A	6-2-66	216	12-2-66
19.	5/28/66-AIS.II	12-12-66	1913	27-12-66
20.	5/21/64-AIS.II	10-10-67	1549	21-10-67
21.	5/5/67-AIS.II.A	10-10-67	1598	28-10-67
22.	5/22/67-AIS.IIA	18-3-68	584	30-3-68
23.	5/1/68-AIS.IIA	29-11-68	2135	28-11-68
24.	5/18/69-AIS.II	1-1-70	55	10-1-70
25.	5/18/69-AIS.II	22-8-70	1268	1-9-70
26.	5/14/70-AIS.III	2-4-71	536	17-4-71
27.	5/12/68-AIS.II.A	3-2-72	234	19-2-72
28.	5/8/71-AIS.II	9-2-72	249	26-2-72
29.	11/20/72-AIS.II	23-3-73	310	31-3-73
30.	11/26/72-AIS.II	30-3-73	353	7-4-73
31.	11/24/73-AIS.II	6-3-74	282	23-3-74
32.	10/1/74-AIS.II	3-12-74	317	14-12-74
33.	7/1/73-AIS.III C	2-1-75	41	18-1-75
34.	10/2/74-AIS.III	6-2-75	222	22-5-75
35.	11026/1/75-AIS.III	16-4-75	515	26-4-75
36.	11026/2/75-AIS.III	20-4-76	630	8-5-76
37.	11026/8/75-AIS.III	22-4-76	631	8-5-76
38.	11026/4/76-AIS.III	21-11-77	1657	10-12-77
39.	11026/6/76-AIS.III	28-11-78	1491	16-12-77
40.	11026/4/78-AIS.III	28-11-78	1492	16-12-78
41.	11026/4/77-AIS.III	14-2-79	295	24-2-79
42.	11026/11/78-AIS.III	4-8-79	1081	25-8-79

1	2	3	4
43. 11026/11/77-AIS.III	27-11-79	1529	28-12-79
44. 11026/9/79-AIS.III	12-3-80	346	29-3-80
45. 11026/11/79-AIS.III	25-9-80	1048	11-10-80
46. 11026/4/80-AIS.III	14-10-80	1133	1-11-80
47. 11026/3/79-AIS.III	5-11-80	1209	22-11-80
48. 11026/7/79-AIS.III	17-11-80	1235	6-12-80
49. 11026/4/82-AIS.III	16-10-82	890	30-10-82
50. 11026/2/81-AIS.III	6-7-83	531	23-7-83
51. 11026/15/83-AIS.III	23-9-83	733	8-10-83
52. 11026/18/83-AIS.III	27-6-84	741	14-7-84
53. 11026/19/84-AIS.III	17-4-85	438	4-5-85
54. 11026/20/81-AIS.III	22-5-85	531	8-6-85
55. 11026/19/83-AIS.III	22-7-85	710	3-8-85
56. 11026/12/84-AIS.III	16-1-86	82	1-2-86
57. 11026/15/84-AIS.III	22-10-86	932	1-11-86
58. 11026/7/86-AIS.III	7-3-88	255	9-4-88
59. 11026/5/90-AIS.III	6-3-93	——	9-4-88
60. 11026/2/95-AIS.III	23-12-96	157	22-3-97

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 1 जून, 1999

सं. 10/99

सा. का. नि. 180 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के अधीन सक्षम प्राधिकारी संगठन (तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक) (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 और स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में स्टाफ कार ड्राईवर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सक्षम प्राधिकारी संगठन (तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 (स्टाफ कार ड्राईवर) भर्ती नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्रारंभिक गठन :—(1) ऐसा अधिकारी, जो इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पूर्व सक्षम प्राधिकारी संगठन में नियमित रूप से पद धारण किए हुए थे और जो सक्षम प्राधिकारी संगठन में आमेलन की वांछा करता है, इन नियमों के अधीन उस विशिष्ट पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा और सक्षम प्राधिकारी संगठन में ऐसे प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी की नियमित अविच्छिन्न सेवा उच्चतर पद के संबंध में पुष्टि के लिए या उस पर प्रोन्नति के लिए उसकी अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली जाएगी।

5. निरर्हता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :—

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. स्टाफ कार ड्राईवर	5 *@ (1999) सभी पांच सक्षम प्राधिकारी कार्यालय में स्वीकृत पदों की संख्या। (@ पांच पद सामान्य श्रेणी के हैं। @श्रेणी-II और श्रेणी-I में प्रोन्नति के लिए समय-समय पर यथा संशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. 22036/1/92 तारीख 30-11-93 के अनुदेशों का पालन किया जाएगा। *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	3050-75-3950-80-4590 रु.	अचयन	नहीं	25 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण 1. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

7

टिप्पण 2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से अभ्यर्थियों की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (i) मोटर कार चालन की विधिमान्य अनुज्ञप्ति हो। (ii) मोटर यंत्र क्रिया का ज्ञान हो (अभ्यर्थी को यान की छोटी-मोटी त्रुटियों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए) (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। वांछनीय : (i) आठवीं कक्षा उत्तीर्ण (ii) होमगार्ड/नागरिक स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा। टिप्पण :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन के किसी प्रथम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उक्त समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन/आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति/आमेलन:—केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार विभाग के ऐसे नियमित सचिवालय सहायक (समूह ग)

12

श्रौर (समूह घ) कर्मचारियों में से, जिसके पास मोटरकार चालन के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति है, जो उन्हें मोटर कार चलाने की सक्षमता के निर्धारण के लिए ली गई चालन परीक्षा के आधार पर मिली है, जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के ऐसे कर्मचारियों में से जो नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण किए हुए है या नियमित समूह 'घ' कर्मचारियों में से जो स्तंभ (8) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :—सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी आमेलन/प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के लिए विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले है या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं है ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी —अध्यक्ष 2. सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी कार्यालय का उप-निदेशक —सदस्य 3. सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी कार्यालय का एक राजपत्रित अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 2 (9)/98/सीए]
श्रीमती माला दत्त, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 1st June, 1999

No. 10/99

G.S.R. 180.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of Staff Car Drivers in the Competent Authority Organisation under the Ministry of Finance (Department of Revenue), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Competent Authority Organisation (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Staff Car Drivers) Recruitment Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classifications and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

4. Initial Constitution.—(1) The Officer who was holding post on regular basis in Competent Authority Organisation immediately before the commencement of these Rules and who desires for absorption in Competent Authority Organisation, shall be deemed to have been appointed in that particular post under these rules and the regular continuing service of such officer prior to such commencement in Competent Authority Organisation shall be taken into account for the purpose of calculating his qualifying service for confirmation against or promotion to higher post.

5. Disqualification.—No person.--

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)
Staff Car Driver	£5*@ (1999) *Subject to variation dependent on workload. £Sanctioned strength in all five Competent Authority Offices. @The five posts are in Ordinary Grade. For promotin to Grade II and I, Department of Personnel and Training's instructions vide O.M. No. 22036/1/92-Estt(D) dated 30-11-93, as amended from time to time, will be followed.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590

Whether Selection-cum-Seniority or Selection by merit	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Non-Selection	No	Not exceeding 25 years. (Relaxable for Government Servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or ordes issued by the Central Government). Note 1.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep). Note 2.—The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchanges shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to nominate candidates.

Educational and other qualifications required	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any
(8)	(9)	(10)
Essential : (i) Possession of a valid driving licence for motor cars. (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicles). (iii) Experience of driving a motor car for atleast three years. Desirable : (i) A pass in the VIII Standard. (ii) Three Years' service as Home Guard/Civil Volunteers. Note : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years

Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)	(14)
By deputation/Re-employment/Absorption failing which by direct recruitment.	Deputation/Absorption : From amongst the regular Despatch Rider (Group 'C') and Group 'D' employees in the Central/State Government Department/Organisation who possess valid Driving Licence for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motorcars, failing which from officials holding the post of Despatch Rider on regular basis or regular Group 'D' employees in other Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in Column (8). "For Ex-Servicemen : Absorption/on Deputation/re-employment the Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment." (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— Competent Authority concerned—Chairman. Deputy Director of the Competent Authority Office concerned—Member Any Gazetted Officer of the Competent Authority Office concerned—Member	Not applicable

[No. 2(9)/98-CA.]

MRS. MALA DUTT, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 1 जून, 1999

सं. 11/99

सा. का. नि. 181 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय के अधीन सक्षम प्राधिकरण संगठन (तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक) संपत्ति समपहरण (अधिनियम, 1976 तथा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985) में समूह "ग" और समूह "घ" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सक्षम प्राधिकारी संगठन (तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक) सम्पत्ति समपहरण (अधिनियम, 1976 और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985) समूह "ग" और समूह "घ" पद भर्ती नियम 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. आरंभिक गठन :—(1) ऐसा अधिकारी, जो इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पूर्व सक्षम प्राधिकारी संगठन में नियमित रूप से पद धारण किए हुए थे और जो सक्षम प्राधिकारी संगठन में आमेलन की वांछा करता है, इन नियमों के अधीन उस विशिष्ट पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा और सक्षम प्राधिकारी संगठन में ऐसे प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी की नियमित अविछिन्न सेवा उच्चतर पद के संबंध में पुष्टि के लिए या उस पर प्रोन्नति के लिए उसकी अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली जाएगी।

(2) ऐसे कर्मचारिवृन्द की ज्येष्ठता जो सक्षम प्राधिकारी संगठन की ओर से स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा नियुक्त किए गए थे और पुनः सक्षम प्राधिकारी संगठन में भेज दिए गए थे, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में उनकी अपनी-अपनी श्रेणी में नियुक्ति की तारीख से होगी।

5. निरर्हता :—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. निरीक्षक	$15* (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। $सभी पांच सक्षम प्राधिकारी कार्यालय में स्वीकृत पदों की संख्या	साधारण केन्द्रीय सेवाएं समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5500-175-9000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	प्रोन्नति :—ऐसा सहायक/आशुलिपिक श्रेणी II, जिसने सक्षम प्राधिकारी कार्यालयों में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति/आमेलन :—(i) आयकर / केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क/स्वापक पदार्थ/ (केन्द्रीय स्वापक पदार्थ ब्यूरो/स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो) / सहायक प्रवर्तन अधिकारी/पुलिस उप-निरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निरीक्षक। (ii) आयकर / केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क के ऐसे प्रधान लिपिक/कर-सहायक/उच्च श्रेणी

12
लिपिक जिन्होंने अपने-अपने विभाग में निरीक्षक की श्रेणी में प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है। ऐसे अधिकारियों को जिन्हें आय-कर अधिनियम, सीमा-शुल्क अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम में सूक्ष्मदर्शिता है, अधिमानता दी जाएगी। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी —अध्यक्ष 2. सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी कार्यालय का उप-निदेशक —सदस्य 3. सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी कार्यालय का एक राजपत्रित अधिकारी —सदस्य	लाग नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
2. सहायक	$15* (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है $सक्षम प्राधिकारी के सभी पांच कार्यालयों में स्वीकृत पदों की संख्या	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग", अराजपत्रित, अनुसचिवीय	5500-175-8000रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	प्रोन्नति :—ऐसा अवर श्रेणी लिपिक जिसने उस श्रेणी में 16 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के विभागों/संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

12
(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के विभागों/संगठनों और आयकर/केन्द्रीय उत्पाद शल्क, सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय/निदेशालयों/ स्वापक कार्यालयों के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है । (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)

13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी —अध्यक्ष 2. सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी कार्यालय का उप-निदेशक —सदस्य 3. सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी कार्यालय का एक राजपत्रित अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
आशुलिपिक श्रेणी II	$ 5* (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है $ सक्षम प्राधिकारी के सभी पांच कार्यालयों में स्वीकृत पदों की संख्या ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित अनुसचिवीय ।	5500-175-8000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है) । टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित अंतिम तारीख होगी ।

8	9	10
(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । (2) अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण में प्रति मिनट क्रमशः 100 तथा 40 शब्द की गति ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । (सीधी भर्ती केवल तभी की जाएगी जब पर्याप्त पोषक श्रेणी के	प्रोन्नति :— (क) 4000-100-6000 रु. के वेतनमान में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी III जिन्होंने उस श्रेणी में

11	12
पद नहीं हों या जब कि प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा पद भरे जाने की संभावना नहीं हो।	8 वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) जिसकी आशुलिपि (अंग्रेजी) में प्रति मिनट 100 शब्द की गति है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन :—केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के विभागों/संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (i) जो सदृश पद धारण किए हुए है, या (ii) ऐसे आशुलिपिक श्रेणी III में से सीमित परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा, जिनकी अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण में प्रति मिनट क्रमशः 100 और 40 शब्द की गति है तथा जिन्होंने आशुलिपिक श्रेणी III में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी —अध्यक्ष 2. सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी कार्यालय का उप-निदेशक —सदस्य 3. सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी कार्यालय का एक राजपत्रित अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
आशुलिपिक श्रेणी III	$ 5* (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। $सक्षम प्राधिकारी के सभी पांच कार्यालयों में स्वीकृत पदों की संख्या।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित अनुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित अंतिम तारीख होगी।

8	9	10
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। (ii) अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण में प्रति मिनट क्रमश: 80 तथा 30 शब्द की गति	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, दोनों के न हो सकने पर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति :—ऐसे अवर श्रेणी लिपिक, जिनकी अंग्रेजी आशुलिपि और टंकण में क्रमश: प्रति मिनट 80 तथा 30 शब्द की गति है। प्रतिनियुक्ति/आमेलन : (i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विभागों/संगठनों के ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों में से सीमित परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा, जिनकी अंग्रेजी आशु-लिपि और टंकण में प्रति मिनट क्रमश: 80 शब्द तथा 30 शब्द की गति है।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे,— 1. सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी —अध्यक्ष 2. सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी कार्यालय का उप-निदेशक —सदस्य 3. सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी कार्यालय का एक राजपत्रित अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
अवर श्रेणी लिपिक	\$ 12* (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। \$सक्षम प्राधिकारी के सभी पांच कार्यालयों में स्वीकृत पदों की संख्या।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	3050-75-3950-80-4590 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	18से 25 वर्ष । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)

8	9	10
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । (ii) अंग्रेजी टंकण में प्रति मिनट 30 शब्द की गति ।	आयु :—नहीं शैक्षिक अर्हताएं :—हां	दो वर्ष

11	12
पोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	पोन्नति :—ऐसा चपरासी, जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और जिसके पास स्तंभ (8) में विहित अर्हताएं है । प्रतिनियुक्ति/आमेलन : (i) जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विभागों/संगठनों में समरूप पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने समूह 'घ' पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तंभ (8) में विहित अर्हताएं है ।

13	14
समूह "ग" विभागीय पोन्नति समिति सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों की पोन्नति और पुष्टि के लिए ,— 1. सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी —अध्यक्ष 2. सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी कार्यालय का उप-निदेशक —सदस्य 3. सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी कार्यालय का एक राजपत्रित अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
चपरासी	$20* (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । $सक्षम प्राधिकारी के सभी पांच कार्यालयों में स्वीकृत पदों की संख्या ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित, अनसचिवीय	2550-55-2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है ।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

8	9	10
आवश्यक— मिडिल स्कूल/आठवीं कक्षा उत्तीर्ण। वांछनीय — होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा का ऐसा स्वयंसेवक, जिसने कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो और जो होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा में "बुनियादी" और "पुनश्चर्या" पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित हो।	लागू नहीं होना	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

11	12
आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	आमेलन/प्रतिनियुक्ति :— 2550-3200 रु. के वेतनमान में केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विभागों/संगठनों के ऐसे समूह 'घ' कर्मचारी, जिनके पास स्तंभ (8) में विहित अर्हताएं हैं। उन्हें आरंभिक रूप से साक्षर होना चाहिए तथा उन्हें हिन्दी, अंग्रेजी या किसी क्षेत्रीय भाषा पढ़ने के सामर्थ्य का सबूत देना होगा। फराश/चौकीदार/सिपाही/सफाईवाला / चपरासी/ समूह "घ" कर्मचारियों के आमेलन द्वारा।

13	14
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) :— 1. सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी —अध्यक्ष 2. सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी कार्यालय का उप-निदेशक —सदस्य 3. सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारी कार्यालय का एक समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 2 (9)/98-सं. ए.]

श्रीमती माला दत्त, उप-सचिव

New Delhi, the 1st June, 1999

No. 11/99

G.S.R. 181.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' and 'D' posts in the Competent Authority Organisation under the Ministry of Finance (Department of Revenue), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Competent Authority Organisation [Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985] (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule aforesaid.

4. Initial Constitution.—(1) The Officer who was holding post on regular basis in Competent Authority Organisation immediately before the commencement of these Rules and who desires for absorption in Competent Authority Organisation, shall be deemed to have been appointed in that particular post under these rules and the regular

continuing service of such officer prior to such commencement in Competent Authority Organisation shall be taken into account for the purpose of calculating his qualifying service for confirmation against or promotion to higher post.

(2) The seniority of the staff who were recruited by Narcotics Control Bureau on behalf of Competent Authority Organisation and re-diverted to Competent Authority Organisation, will be fixed from the date of their appointment in Narcotics Control Bureau in their respective grade.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to Relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Scales of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)
Inspector	£15* (1999) *Subject to variation dependent on workload. £Sanctioned strength in all Five Competent Authority Offices.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 5500-175-9000

Whether Selection-cum-Seniority or selection by merit	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Non-selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)	(14)
By promotion failing which by deputation/absorption	Promotion : Assistant/Stenographer Grade II with 3 years' regular service in Competent Authority Offices. Deputation/Absorption : (i) Inspector of Income Tax/ Customs and Central Excise/ Narcotics (Central Bureau of Narcotics/Narcotics Control Bureau)/Assistant Enforcement Officer/Sub-Inspector of Police, Central Bureau of Investigation. (ii) Head Clerks/Tax Assistants/ Upper Division Clerks of Income-tax, Central Excise and Customs who have qualified in the Departmental Examination for promotion to the grade of Inspector in the respective Departments. Officials with flair for Income-Tax Act, Customs Act, Foreign Exchange Regulation Act and Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act will be given preference. (The period of deputation shall ordinarily not exceed three years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of ;— Competent Authority concerned—Chairman Deputy Director of the Competent Authority office concerned—Member Any Gazetted Officer of Competent Authority Offices concerned—Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
Assistant	£ 15* (1999) *Subject to variation dependent on workload. £ Sanctioned strength in all Five Competent Authority Offices.	General Central Service Group 'C' Non-gazetted Ministerial.	Rs. 5000—150—8000

(5)	(6)	(7)
Non-selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)	(13)	(14)
By promotion failing which by deputation/ absorption.	Promotion : Lower Division Clerk with 16 years' regular service in the grade. Deputation/Absorption : Officers under the Central/State Government Departments/ organisations (i) holding analogous post ; or Upper Division Clerk from Central/State Government Departments/Organisations and from Income Tax/Central Excise/ Custom Commissionerates/ Directorates/Narcotics with 8 years' service in the grade. (The period of deputation shall ordinarily not exceed three years).	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :- Competent Authority concerned Chairman. Deputy Director of the Competent Authority office concerned -- Member Any Gazetted Officer of Competent Authority office concerned - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
Stenographer Grade II	£5* (1999) *Subject to variation dependent on workload. £Sanctioned strength in all Five Competent Authority Offices.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministrial.	Rs. 5000—150—8000.

(5)	(6)	(7)
Non-Selection	Not applicable	25 years (relaxable upto 40 years in case of Government servants in accordance with the instructions or orders issued by The Central Government). Note :—The crucial da e for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(8)	(9)	(10)
(i) Matriculation from recognised Board or equivalent. (ii) Speed of 100 and 40 w.p.m. in English Shorthand and typing respectively.	Not applicable.	Two years

(11)	(12)	(13)	(14)
By promotion failing which by deputation/absorption failing both by direct recruitment. (Direct recruitment may be resorted to only when there is not enough feeder grade strength or when there is no possibility of filling up of the posts by deputation/absorption.)	Promotion :—Promotion from Stenographers Grade III in the scale of Rs. 4000-100-6000 with 8 years' regular service in the grade. (b) Possessing a speed of 100 w.p.m. in Stenography (English) Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. *Deputation/Absorption : Officers under the Central/State Governments/Departments/Organisations (i) holding analogous post; or (ii) By selection through a limited test amongst Stenographer Grade III possessing speed of 100 and 40 w.p.m. in English Shorthand and typing respectively with 8 years' regular service in the grade of Stenographer grade III.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of :— Competent Authority concerned — Chairman Deputy Director of the Competent Authority office concerned—Member Any Gazetted Officer of Competent Authority concerned—Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
Stenographer Grade III	£5* (1999) *Subject to variation dependant on workload. £ Sanctioned strength in all Five competent Authority Offices.	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 4000—100—6000

(5)	(6)	(7)
Non-selection	Not applicable	18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note :—The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(8)	(9)	(10)
(i) Matriculation or equivalent from recognised Board. (ii) Speed of 80 and 30 w.p.m. in English Shorthand and Typing respectively.	Not applicable	Two years

(11)	(12)	(13)	(14)
By promotion failing which by deputation/ absorption failing both by direct recruitment through Staff Selection Commission.	Promotion : Lower Division Clerks possessing speed of 80 and 30 w.p.m. in English Shorthand and typing respectively. Absorption/on deputation : (i) Officers under the Central/ State Governments holding analogous post; or (ii) by slection through a limited test amongst Lower Division Clerks in Central Government/State Government/ Departments/Organisation possessing speed of 80 and 30 w.p.m. in English Shorthand and typing respectively.	Group 'C' Departmental Promotion Committee conssiting of :— Competent Authority concerned—Chairman. Deputy Director of the Competent Authority office concerned—Member Any Gazetted Officer of Competent Authority office concerned—Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6
Lower Division Clerk	£12* (1999)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Non-Selection	Not applicable

*Subject to variation dependent on workload
£Sanctioned strength in all Five Competent Authority Offices.

7	8	9	10
Between 18 and 25 years (relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	(i) Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board or University. (ii) A typing speed of 30 w.p.m. in English	Age—No Educational qualification —yes	Two years

11	12	13	14
Promotion/absorption/ deputation failing which by direct recruitment through Staff Selection Commission.	Promotion : Peon with eight years' regular service in the grade and possessing qualification as prescribed in Column (8).	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation of direct recruits) consisting of: Competent Authority con-	Not applicable

11	12	13	14
	Absorption/on deputation: (i) holding analogous post in the Central/State Governments/Departments/Organisation (ii) with 5 years' regular service in Group 'D' post and possessing qualifications as prescribed in Column 8.	cerned—Chairman Deputy Director of the Competent Authority Office concerned—Member Any Gazetted Officer of the Competent Authority office concerned—Member	

1	2	3	4	5	6
Peon	*20* (1999) *Subject to variation dependenton workload *Sanctioned strengh in all Five Competent Authority Offices.	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
Between 18 and 25 years (relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the Crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names.	Essential: Middle School/8th Standard pass. Desireable: Home Guards and Civil Defence volunteers who have rendered atleast three years' service and are trained in 'Basic' and 'Refresher' Courses in home Guards and Civil Defence.	Not applicable	Two years for direct recruits

11	12	13	14
By Absorption/on deputation failing which by direct recruitment.	Absorption/Deputation Group 'D' employees of the Central/State Governments/Departments/Organisations in the pay scale of Rs. 2550-3200 with qualification as prescribed in column (8). They should also possess elementary literacy and give proof of their ability to read either Hindi, English or a regional language. By absorption of Farashes, Chowkidars, Sepoys, Safaiwalas, Peons/Group 'D' Employees.	Group 'D' Departmental Promotion Committee for confirmation Competent Authority concerned—Chairman Deputy Director of Competent Authority concerned—Member Any other Group 'B' Gazetted officer from the Competent Authority office—Member	Not applicable

[F.No. 2(9)/98-CA]

MRS. MALA DUTT, Dy. Secy.

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 मई, 1999

मा. का. नि. 182 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शहरी विकास मंत्रालय, ज्येष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) और कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1996 को अधिक्रांत करते हुए, शहरी विकास मंत्रालय में ज्येष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) और कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, ज्येष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) और कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान आदि :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन)	*02[1] (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	10000-325-15200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
	सकता है। @इनमें मुद्रण निदेशालय में ज्येष्ठ विश्लेषक का एक पद भी सम्मिलित है।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
11	12
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी, जिसके न हो सकने पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी/स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है, या (ii) जिन्होंने 8000-13500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 6500-10500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित अर्हता और अनुभव है :— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य।

	12
	(ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या रक्षा कार्य अध्ययन संस्थान से उच्च प्रबंध सेवा पाठ्यक्रम या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था से समतुल्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो या सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से बुनियादी प्रबंध सेवा पाठ्यक्रम या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था से समतुल्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो और कार्य अध्ययन संगठन और पद्धति/विश्लेषण/सांख्यिकीय/संक्रिया अनुसंधान और अन्य प्रबंध अनुसंधान तकनीकों के उपयोग का तीन वर्ष का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
2. कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन)	*3@ (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। @इसमें मुद्रण निदेशालय में कनिष्ठ विश्लेषक का एक पद सम्मिलित है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय	6500-200-10500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति :— (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :— केन्द्रीय सरकार के अधीन, अधिकारी जिसके न हो सकने पर सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी/स्वासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 5500-9000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदो पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, या (iii) जिन्होंने 5000-8000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की है, या (ख) जिसके पास निम्नलिखित अर्हता और अनुभव है :— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य। (ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या रक्षा कार्य अध्ययन संस्थान से उच्च प्रबंध सेवा पाठ्यक्रम या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था से समतुल्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। या कार्य अध्ययन संगठन और पद्धति/विश्लेषण/सांख्यिकीय/संक्रिया अनुसंधान और अन्य प्रबंध अनुसंधान तकनीकों के उपयोजन का कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो। या सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से बुनियादी प्रबंध सेवा पाठ्यक्रम या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था से समतुल्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो और कार्य अध्ययन संगठन और पद्धति/ विश्लेषण/सांख्यिकीय/संक्रिया अनुसंधान और अन्य प्रबंध अनुसंधान तकनीकों के उपयोजन का एक वर्ष का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति कर अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

12
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

13	14
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 12018/1/96-प्रशा.-I]

के. के. गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 18th May, 1999

G.S.R. 182.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Urban Development Senior Analyst (Work Study) and Junior Analyst (Works Study) Recruitment Rules, 1996, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Analyst (Work Study) and Junior Analyst (Works Study) in the Ministry of Urban Development namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Urban Development Senior Analyst (Work Study) and Junior Analyst (Work Study) Recruitment Rules, 1999.

(2) They shall come into force, from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay etc.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule attached to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment to the said post age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person.—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any persons shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person, and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
1. Senior Analyst (Work Study)	*2(@) (@)1999 Subject to variation dependent on work-load. *Includes one post of Senior Analyst in the Directorate of Printing also.	General Central Service Group A Gazetted. Non-Ministerial	Rs. 10,000-325-15,200

Whether selection by merit or selection-cum-seniority	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules 1972	Educational and other qualification required for direct recruits
5	6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicbale	Not applicable

Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
9	10	11
Not applicable	Not applicable	Deputation (Including short term contract).

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13	14
Deputation (including short-term contract) : Officers under the Central Government failing which officers under the State Governments/Union Territories/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Autonomous or Statutory Organisations :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis: OR (ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 8000-13500 or equivalent: OR (iii) with 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 6500-10,500 or equivalent; and (b) Possessing the following qualification and experience :— (i) Degree from a Recognised University or equivalent. (ii) Have successfully completed the Advanced Management Service Course of the Institute of Secretariat Training and Management or Defence Institute of Work	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

12
Study or equivalent training in any other recognised institution. OR have successfully completed the Basic Management Service Course of the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent training in any other recognised institution and have three years experience in the application of Work Study/Organisation and/Methods/Analytical/Statistical Operations Research and other management research techniques.
(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other Organisation/ Department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract)/ shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)

1	2	3	4
2. Junior Analyst (Work Study)	*3(@) *1999 Subject to variation dependent on work-load. (@)Includes one post of Junior Analyst in the Directorate of Printing also.	General Central Service Group B Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 6500-200-10500

5	6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11
Not applicable	Not applicable	Deputation (Including short term contract)

12	13	14
Deputation (Including short-term contract): Officers under the Central Government failing which officers under the State Governments/Union Territories/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Autonomous or Statutory Organisations :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis; OR (ii) With 3 yeass regular service in posts in scale of Rs. 5500—9000 or equivalent; OR (iii) With 6 years regular service in posts in the scale of Rs. 5000—8000 or equivalent; and (b) Possessing the following qualification and experience :— (i) Degree from a Recognised University or equivalent. (ii) Have successfully completed the Advanced Management Service Course of the Institute of Secretariat Training and Management or Defence Institute of Work Study or equivalent training in any other recognised institution OR have at least two years experience in the application of Work Study Organisation and Methods/Analytical/Statistical/Operations Research and other Management Research Techniques. OR Have successfully completed the Basic Management Service Course of the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent training in any other recognised institution and have one years' experience in the application of Work Sutdy/ Organisation and Methods/Analytical/ Statistical/Operations Research and other management research techniques. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other Organisation/ Department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract)/ shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.)	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[F.No. 12018/1/96-Adm. I]
K. K. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 जून, 1999

सा. का. नि. 183:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (समूह "ग" पद) भर्ती नियम 1986 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय के केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन में नक्शानवीस श्रेणी—II और फैरो मुद्रक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन नक्शानवीस श्रेणी—II और फैरो मुद्रक समूह "ग" पद भर्ती नियम 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. नक्शानवीस (श्रेणी—II) (सिविल)	1* (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	5000-150-8000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40

1	2	3	4	5	6	7
						वर्ष तक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक की जा सकती है ।) टिप्पण 1. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) टिप्पण 2. रोजगार कार्यालय से अभ्यर्थियों की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक । (1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

8	
(2) किसी मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से नक्शानवीस (सिविल) में दो वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, और (3) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार में नक्शानवीस के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी, (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है, या (2) जिन्होंने 4000-6000 रु. के वेतनमान वाले पद पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले है और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से नियुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
पुष्टि के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. निदेशक/उपसचिव (प्रशासन) भारत सरकार —अध्यक्ष 2. निदेशक, संपदा—II संपदा निदेशालय —सदस्य 3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) मुद्रण निदेशालय—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
1. फैरो मुद्रण	1* (1999) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, तकनीकी अननु-सचिवीय	3050-75-3950-80-4590 रु.	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होता	25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के लिए विहित की गई है)। टिप्पण 2. रोजगार कार्यालयों से अभ्यर्थियों की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है

8	9	10
आवश्यक :— (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन ; (ii) फैरोफेस, फैरोमुद्रण और शुष्क मशीनों के प्रचालन का ज्ञान : (iii) कागज को सुग्राही बनाने के लिए रासायनिक घोल तैयार करने और अमोनिया गैस प्रिंट को विकसित करने की योग्यता : (iv) फैरोमुद्रण का दो वर्ष का अनुभव ; (v) रेखाचित्र और उसकी अनुक्रमणिका को पढ़ने की योग्यता। टिप्पण 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उसके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए [अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

13	14
पुष्टि के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. निदेशक/उप सचिव (प्रशासन) भारत सरकार —अध्यक्ष 2. निदेशक, संपदा-II संपदा निदेशालय —सदस्य 3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) मुद्रण निदेशालय —सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए. 11014/1/94-प्रशा. IV]

के. के. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 4th June, 1999

G.S.R. 183.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Public Health and Environmental Engineering Organisation (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Draftsman Grade-II and Ferro-Printer in the Central Public Health and Environmental Engineering Organisation of the Ministry of Urban Development, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organisation, Draftsman Grade-II and Ferro-Printer, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of said post, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in column 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Service (Pension), Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Draftsman Grade-II (Civil)	1* (1999)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Not applicable	Not applicable	Not exceeding 25 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in

*(Subject to variation dependent on work load)

7
case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep). Note 2. The curcial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to nominate candidates.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts by various methods
8	9	10	11
(i) Matriculation from a recognised Board/University; (ii) Two years' Diploma/Certificate of Draftsman (Civil) from a recognised Industrial Training Institute; and	Not applicable	Two years for direct recruits.	By deputation/absorption failing which by direct recruitment.

8	9	10	11
(iii) Three years' experience as Draftsman in the Central Government or a State Government. Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2. The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of Selection Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13	14
Deputation/absorption Officers of the Central Government, (a)(i) holding analogous post on a regular basis; or (ii) with five years' regular service in post in the scale of pay of Rs. 4000-6000, and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. For Ex-servicemen Deputation/re-employment The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held	Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of: (1) Director/Deputy Secretary to the Government of India (Administration) —Chairman (2) Director of Estates-II, Directorate of Estates—Member (3) Joint Director (Administration), Directorate of Printing —Member	Not applicable

12

immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)

1	2	3	4	5	6	7
2. Ferro Printer	1* (1999)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Technical Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590.	Not applicable	Not applicable	Not exceeding 25 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep). Note 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchanges shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to nominate candidates.

*(Subject to variation dependent on workload)

8	9	10	11
(i) Matriculation from a recognised Board/ University; (ii) Knowledge of operating Ferro-frames. Ferro-Printing and drying machines; (iii) Ability to prepare chemical solution for sensitizing paper and develop amonia gas prints; (iv) Two years experience of Ferro-Printing; and (v) Ability to read drawing and its index. Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years	By direct recruitment

12	13	14
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation comprising of:— (1) Director/Deputy Secretary to the Government of India (Administration) —Chairman (2) Director of Estates-II, Directorate of Estates—Member (3) Joint Director (Administration) Directorate of Printing—Member	Not applicable

[F. No. A-11014/1/94-Admn. IV]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (आयोग का गठन कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, की, अधिसूचना संख्या 13040/2/90- एस. सी. डी. VI दिनांक 12 मार्च, 1992, द्वारा अधिसूचित)

[संविधान के अनुच्छेद 338 (4) के अधीन]

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1999

भा.का.नि. 184 :— राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यविधि नियम

अध्याय I

सामान्य

आयोग का गठन

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 338, जिसे संविधान (पैंसठवां संशोधन), अधिनियम, 1990, द्वारा संशोधित किया गया है, के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (जिसे उसके बाद आयोग कहा जायेगा) गठित किया गया है। आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पांच अन्य सदस्य होंगे।

आयोग का मुख्यालय

2. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित होगा

आयोग के राज्य कार्यालय

3. आयोग के निम्नलिखित राज्य कार्यालय इसके नियंत्रणाधीन होंगे :—

स्थान	अधिकारक्षेत्र
1. अगरतला	त्रिपुरा
2. अहमदाबाद	गुजरात तथा दादरा और नागर हवेली, संघ राज्य क्षेत्र
3. बेंगलौर	कर्नाटक
4. भोपाल	मध्य प्रदेश
5. भुवनेश्वर	उड़ीसा
6. कलकत्ता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह संघ राज्य क्षेत्र
7. चंडीगढ़	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
8. गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा नागालैंड
9. हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
10. जयपुर	राजस्थान
11. लखनऊ	उत्तर प्रदेश
12. चैन्नई	तमिलनाडु पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र
13. पटना	बिहार
14. पुणे	महाराष्ट्र, गोवा तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र
15. शिलांग	मेघालय तथा मिजोरम
16. तिरुवनन्तपुरम्	केरल तथा लक्षद्वीप एवं मिनीकाय द्वीप-समूह

4. आयोग, यदि आवश्यक समझे तो, नए कार्यालय और उप कार्यालय खोल सकता है और अपने किसी राज्य कार्यालय के स्तर को बढ़ा अथवा घटा सकता है तथा उसके अधिकार-क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है :

5. संविधान में यथावर्णित आयोग के कार्य और दायित्व निम्नलिखित होंगे :—

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय या प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित सुरक्षणों से संबंधित सब विषयों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना तथा ऐसे सुरक्षणों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना ;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना ;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया विषय में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास में प्रगति का मूल्यांकन करना ;

(घ) उन सुरक्षणों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन पेश करना ;

(ङ) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन सुरक्षणों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिएं, तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करना; और

(च) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध, में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति संसद, द्वारा बनाई गई किसी विधि के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

6. आयोग देश में किसी भी स्थान पर "सिटिंग" और "मीटिंग" (बैठकों) के जरिए तथा मुख्यालय और राज्य कार्यालयों में अपने अधिकारियों के माध्यम से भी कार्य करेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित आयोग के सदस्य इन नियमों में निर्धारित कार्यविधि के अनुसार कार्य करेंगे।

अध्याय II

दायित्वों का विभाजन तथा कार्य का आवंटन

अध्यक्ष

7. अध्यक्ष आयोग के प्रधान होंगे और उन्हें आयोग में उत्पन्न सभी प्रश्नों और विषयों पर निर्णय लेने की अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त होंगी सिवाय उन मामलों में जहां इन नियमों में विशेष प्रावधान किया गया हो।

8. अध्यक्ष आयोग के सदस्यों में विषयों और दायित्वों का आवंटन करेंगे। विषयों और दायित्वों के आवंटन से संबंधित आदेश आयोग के सचिवालय द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को परिचालित किया जायेगा।

9. अध्यक्ष को सदस्यों का अवकाश स्वीकृत करने तथा उनके दौरों का अनुमोदन करने का प्राधिकार प्राप्त होगा।

10. अध्यक्ष आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

11. सदस्यों को आवंटित विषयों के संबंध में आयोग में सभी महत्वपूर्ण निर्णय अध्यक्ष के अनुमोदन से लिए जायेंगे।

12. अध्यक्ष किसी भी विषय पर ऐसा कोई रिकार्ड मंगवा सकता है जिसे वह महत्वपूर्ण समझता हो और वह इस पर स्वयं निर्णय ले सकता है अथवा यदि आवश्यक हो तो उसे आयोग की बैठक में रख सकता है।

उपाध्यक्ष

13. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

14. उपाध्यक्ष द्वारा ऐसे सभी कार्य किए जायेंगे जो अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे गए हों।

सदस्य

15. आयोग के सदस्यों का सामूहिक दायित्व होगा और वे आयोग की बैठकों और "सिटिंग" में भाग लेकर तथा उन्हें आवंटित विषयों की देखभाल कर अपना कार्य संपादित करेंगे। किसी सदस्य की महत्वपूर्ण कारवाइयों तथा निर्णयों को आयोग की बैठकों में प्रस्तुत किया जा सकता है जो उसकी समीक्षा कर सकता है।

16. आयोग की बैठक की कार्यसूची में शामिल करने के लिए कोई भी सदस्य अपनी ओर से मदों का सुझाव दे सकता है परन्तु अध्यक्ष की सहमति प्राप्त होने के बाद ही इन मदों को शामिल किया जायेगा।

17. सदस्यों को आवंटित विषयों तथा/अथवा क्षेत्रों या राज्यों के बारे में प्रत्येक सदस्य समग्र रूप से उत्तरदायी होगा।

18. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित योजना और विकास के, मामलों में सदस्य उनके अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत राज्य सरकारों को परामर्श देने की भूमिका निभायेंगे। मुख्यालय में आयोग का सचिवालय तथा राज्य कार्यालय सदस्यों को राज्यों की समस्याओं और क्रियाकलापों तथा उनके प्रभाराधीन आने वाले विषयों की पूर्ण रूप से जानकारी देते हुए उनकी मदद करेगा।

19. अन्यत्र नियमों में विनिर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार एक या एक से अधिक सदस्य मामलों की सुनवाई के लिए या ऐसे किसी विषय पर मुद्दे या मामले में जिसमें आयोग द्वारा अन्वेषण या जांच की जा रही हो, साक्ष्य या जानकारी एकत्र करने के लिए आयोग की "सिटिंग" बुला सकते हैं।

20. सदस्य अपने दौरा कार्यक्रमों की सूचना दौरे का विस्तार से प्रयोजन बताते हुए राज्य-कार्यालयों को तथा दौरे के दौरान राज्य सरकार विभाग और अन्य संबंधितों को विचार-विमर्श/जांच आदि के लिए समय से पहले देंगे। सदस्य, ऐसे दौरों के दौरान, सुरक्षा/यात्रा/आवास आदि से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मानदण्डों का पालन करेंगे।

सचिव

21. सचिव आयोग का प्रशासनिक अध्यक्ष होगा और वह आयोग के अधिकारियों की सहायता से आयोग के कार्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करेगा।

22. सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषय सचिव के समुख रखे जायेंगे जो ऐसे विषयों पर सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश जारी कर सकता है।

23. सचिव आयोग की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करने और बैठक के कार्यवृत्त को परिचालित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

24. सचिव रिपोर्टों को अंतिम रूप देने में आयोग की सहायता करेगा।

25. सचिव अपने विवेक पर सचिवालय के किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को अपना कोई भी कार्य या प्राधिकार प्रत्यायोजित कर सकता है।

अध्याय III

आयोग द्वारा अन्वेषण तथा जांच

अन्वेषण तथा जांच की विधियां

26. आयोग उसके प्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले विषयों का अन्वेषण (इंवेस्टिगेशन) अथवा जांच (इंक्वायरी) करने के लिए निम्नलिखित विधियों में से किसी एक अथवा एकाधिक विधियों को अपना सकता है :—

(क) आयोग द्वारा सीधे ही;

(ख) आयोग के मुख्यालय में गठित अन्वेषण दल द्वारा; और

(ग) अपने राज्य कार्यालयों के माध्यम से ।

आयोग द्वारा सीधे ही अन्वेषण तथा जांच

27. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षणों, संरक्षण, कल्याण और विकास से संबंधित जिन मामलों का अन्वेषण अथवा जिन विशिष्ट शिकायतों की जांच स्वयं करने का निर्णय आयोग लेता है, ऐसे अन्वेषण या जांच के लिए आयोग "सिटिंग" आयोजित कर सकता है । ऐसी "सिटिंग" आयोग के मुख्यालय में अथवा देश में किसी दूसरे स्थान पर आयोजित की जा सकती है।

28. आयोग की "सिटिंग" सुनवाई के लिए अभिप्रेत पार्टियों को उचित नोटिस देने तथा पर्याप्त प्रचार अथवा आम जनता को सूचना देने के बाद ही आयोजित की जायेगी यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जायेगी कि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को जो अन्वेषण या जांच के अधीन मामले से प्रभावित है, नोटिस अथवा प्रचार के माध्यम से उचित सूचना दी जा चुकी है ।

29. जब आयोग द्वारा सीधे ही अन्वेषण या जांच करने का निर्णय लिया जाता है, आवश्यक स्टाफ सहित एक अधिकारी को, जो अनुसंधान अधिकारी/अनुभाग अधिकारी से कम स्तर का न हो, उस सदस्य के साथ कार्य पर लगाया जायेगा जिसे ऐसा अन्वेषण या जांच सौंपा गया है तथा वे (अधिकारी और स्टाफ) "सिटिंग" आयोजित करने के लिए सभी कदम उठायेंगे ।

30. आयोग अन्वेषण या जांच के दौरान "सिटिंग" में शपथ पर साक्ष्य या शपथपत्र प्राप्त कर सकता है । अन्वेषण या जांच में साक्ष्य लेने के उद्देश्य से यदि आयोग किसी व्यक्ति की उपस्थिति को आवश्यक समझता है तो वह उसे "समन" भेज सकता है। "समन" आयोग के सम्मुख उपस्थित होने के लिए निर्देशित व्यक्ति को "समन" प्राप्त करने की तिथि से कम से कम 15 दिन का नोटिस दिए जाने का प्रावधान होगा ।

31. जहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सम्पत्ति सेवा/रोजगार तथा अन्य संबंधित मामले तात्कालिक धमकी के अधीन है और आयोग का शीघ्र ध्यान अपेक्षित है, टेलेक्स/फैक्स जारी करके मामला संबंधित प्राधिकरण के ध्यान में, उन्हें यह सूचित करते हुए कि मामला आयोग की पूर्ण जानकारी में है, लाया जाएगा। संबंधित प्राधिकरण से अत्यावश्यक जवाब टेलीग्राम अथवा फैक्स द्वारा मंगवाया जाए। यदि एक सप्ताह के भीतर कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है तो संबंधित प्राधिकारी को जांच के लिए अल्प सूचना पर बुलाया जाएगा ।

32. आयोग अन्वेषण या जांच के किसी मामले में साक्ष्य लाने के लिए "कमीशन" जारी कर सकता है और इस उद्देश्य के लिए लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। आयोग "कमीशन" पर साक्ष्य लाने के लिए नियुक्त व्यक्तियों को शुल्क तथा यात्रा और अन्य भत्तों का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त नियम बना सकता है।

33. अपेक्षित "सिटिंग" के बाद जिस सदस्य ने अन्वेषण किया है वह एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वह रिपोर्ट सचिव को अथवा रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को भेजी जायेगी। जांच के बाद अध्यक्ष के अनुमोदन से रिपोर्ट पर कार्रवाई आरम्भ की जा सकती है ।

आयोग के मुख्यालय में गठित अन्वेषण दल द्वारा अन्वेषण या जांच

34. आयोग निर्णय ले सकता है कि किसी विषय के अन्वेषण या जांच आयोग के अधिकारियों के एक अन्वेषण दल द्वारा कराई जाये, परन्तु यदि मामला ऐसा हो जिसमें तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है तो ऐसे अन्वेषण या जांच के लिए निर्णय अध्यक्ष द्वारा लिया जा सकता है ।

35 अन्वेषण दल तत्काल ही अन्वेषण या जांच जो भी हो, के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करेगा और इस प्रयोजन के लिए प्रपत्र-1 में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करने सहित आवश्यक पत्राचार प्रारम्भ करेगा ।

36. अन्वेषण दल दौरे का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित औपचारिकताओं तथा अन्य प्रशासनिक अपेक्षाओं का पालन करने के बाद तथा अन्वेषण या जांच का विषय, प्रयोजन सीमा तथा कार्यविधि संबंधी सूचना संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों को देने के बाद संबंधित क्षेत्र का भ्रमण कर सकता है । अन्वेषण दल संबंधित राज्य कार्यालय के अधिकारियों तथा स्टाफ की सहायता प्राप्त कर सकता है परन्तु रिपोर्ट तैयार करने तथा प्रस्तुत करने का दायित्व अन्वेषण दल के प्रधान का होगा।

37. अन्वेषण दल अन्वेषण अथवा जांच जो भी हो, उसकी रिपोर्ट सामान्य, अथवा विशिष्ट आदेशों द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित अवधि, यदि कोई हो, के भीतर आयोग के सचिव अथवा संबंधित अधीनस्थ अधिकारी को प्रस्तुत करेगा । यदि निर्धारित समय सीमा को बढ़ाने की संभावना हो, तो इसके लिए अन्वेषण दल का प्रधान उस मामले के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सचिव के आदेश प्राप्त करेगा । रिपोर्ट की जांच की जाएगी तथा रिपोर्ट पर की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।

38. रिपोर्ट अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, जो मामले में उचित कार्रवाई करेंगे ।

राज्य कार्यालयों के माध्यम से अन्वेषण या जांच

39. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय विशेष पर अधिकारिता रखने वाला सदस्य या आयोग का सचिव निर्णय ले सकता है कि कोई अन्वेषण या जांच आयोग के राज्य कार्यालयों के माध्यम से की जायेगी। संबंधित राज्य कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को इस निर्णय की सूचना भेजी जायेगी और उसे निर्धारित समयावधि के भीतर मामले का अन्वेषण या जांच करने और रिपोर्ट भेजने के लिए कहा जायेगा। राज्य कार्यालय पूछ-ताछ, स्थल का दौरा करके, विचार-विमर्श तथा पत्राचार और दस्तावेजों के अध्ययन के माध्यम से, जैसा भी मामले में आवश्यक समझा जाये, अन्वेषण या जांच का कार्य करेगा और साथ ही वह इस संबंध में समय-समय पर आयोग के सचिवालय से जारी किन्हीं विशेष अथवा सामान्य अनुदेशों का अनुपालन भी करेगा।

40. यदि अन्वेषण या जांच का कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा न किया जा सकता हो तो राज्य कार्यालय का प्रभारी अधिकारी निर्धारित समय की समाप्ति से पहले आयोग के सचिवालय को पत्र भेजेगा और निर्धारित अवधि के भीतर अन्वेषण या जांच, जो भी हो, का कार्य पूरा न होने से संबंधित परिस्थितियों और कारणों को स्पष्ट करेगा। आयोग का सचिव अथवा प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत कार्य करने वाला अधिकारी इस प्रकार के अनुरोध पर विचार करेगा और उसे अन्वेषण या जांच का कार्य पूरा करने की संशोधित तिथि की सूचना भेजेगा।

41. यदि अन्वेषण या जांच के दौरान, राज्य कार्यालय का प्रधान यह महसूस करता है कि किसी दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण के लिए या उनके सम्मुख किसी व्यक्ति की उपस्थिति की बाध्यता के लिए आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल करना आवश्यक हो गया है तो वह पूर्ण तथ्यों सहित एक विशेष रिपोर्ट इस आयोग के सचिवालय को भेजेगा। ऐसी विशेष रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले को सचिव/विषय के प्रभारी सदस्य/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सम्मुख रखा जायेगा जो इस आशय का आदेश जारी करेगा कि उपस्थिति की बाध्यता या किसी दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के लिए आवश्यक विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये। इस प्रयोजन के लिए जारी "समनों" तथा वारंटों को या तो सीधे ही या राज्य कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से, जैसा ऐसी कानूनी प्रक्रिया प्राधिकृत करने वाले सचिव/सदस्य द्वारा निदेश दिया जाए, संबंधित व्यक्तियों को भेजा जायेगा।

42. अन्वेषण या जांच, जो भी हो, का कार्य पूरा हो जाने के बाद राज्य कार्यालय का प्रधान मामले में अपेक्षित कार्रवाई के सुझाव सहित रिपोर्ट आयोग के सचिव को भेजेगा। रिपोर्ट का सारांश अथवा निष्कर्ष सचिव के सम्मुख रखे जाएं जो मामले में अगली कार्रवाई के बारे में निर्णय लेगा।

कतिपय रिपोर्टों की गोपनीयता

43. आयोग बैठक में अथवा अन्यथा निर्णय लेकर यह आदेश दे सकता है कि किसी मामले पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु गोपनीय रखी जायेगी और किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं प्रकट की जायेगी सिवाय उन व्यक्तियों के जिन्हें ऐसी रिपोर्ट देखने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

विधिक प्रक्रियाएं

44. ऐसे सभी "समन" और वारंट, जिन्हें आयोग द्वारा दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाना अपेक्षित है, विहित प्रपत्र में लिखे जायेंगे और उन पर आयोग की मुहर लगी होगी। आयोग के विधिक कक्ष से विधिक प्रक्रिया जारी की जायेगी और उस पर उसकी मुहर लगी होगी। विधिक प्रक्रियाओं की तामील के लिए लागू सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अनुपालन आयोग द्वारा किया जायेगा।

पत्रों तथा नोटिसों का जारी किया जाना

45. दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण से संबंधित ऐसे पत्रों तथा नोटिसों पर जिन्हें आयोग द्वारा दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग किए बिना जारी किया गया हो, किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे जो अनुसंधान अधिकारी/अनुभाग अधिकारी से कम स्तर का न हो।

"समनों" तथा वारंटों के प्रपत्र

46. इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र-II तथा प्रपत्र-III में क्रमश: "समन" और वारंट जारी किए जायेंगे।

अध्याय IV

आयोग की बैठकें

बैठकों की आवृत्ति

47. आयोग की दो माह में कम से कम एक बार बैठक बुलायी जायेगी। सामान्यत: बैठक की नोटिस दो सप्ताह पहले भेजी जायेगी। आयोग द्वारा जिन महत्वपूर्ण विषयों पर त्वरित विचार-विमर्श आवश्यक हो उनको निपटाने के लिए अध्यक्ष स्वयं या किसी सदस्य अथवा सचिव के अनुरोध पर आपात बैठक भी बुला सकता है।

कोरम

48. आयोग की बैठक के कोरम के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

ऐसे मामले जिन पर आयोग की बैठक में निर्णय लिया जाना अपेक्षित होगा।

49. आयोग की बैठक में विचार-विमर्श तथा निर्णय के लिए निम्नलिखित विषयों का ध्यान रखा जाना अनिवार्य होगा :—

(i) इन कार्यविधि नियमों में कोई संशोधन;

(ii) आयोग द्वारा सीधे ही अन्वेषण किए जाने वाले विषय;

(iii) सभी रिपोर्टें जिन पर नियमों के अनुसार आयोग द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है;

(iv) विषय जिसे कोई सदस्य अध्यक्ष के अनुमोदन से बैठक में प्रस्तुत करना चाहता हो,

(v) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और प्रगति के लिए योजना तथा विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विषय और संविधान के अनुच्छेद 338(9) के अधीन प्राप्त हुए विशेष संदर्भ तथा

(vi) विषय जिसे अध्यक्ष आयोग की बैठक में प्रस्तुत करने का निदेश दें।

बैठक के लिए कार्यसूची

50. बैठक की कार्यसूची सामान्यतः बैठक की तिथि से कम से कम सात दिन पहले सभी सदस्यों को परिचालित की जायेगी परन्तु आपात बैठक के लिए यह समय सीमा लागू नहीं होगी।

51. बैठक का कार्यवृत्त शीघ्रातिशीघ्र सभी सदस्यों को परिचालित किया जायेगा।

आयोग की बैठक का स्थान

52. सामान्यतः आयोग की बैठक का स्थान नई दिल्ली स्थित आयोग का मुख्यालय होगा। परन्तु आयोग भारत में किसी अन्य स्थान पर भी बैठक आयोजित कर सकता है।

शुल्क

53. आयोग की बैठक में उपस्थित होने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्य किसी शुल्क के लिए हकदार नहीं होंगे । परन्तु यदि कोई अंशकालिक सदस्य हो तो उनकी पात्रता ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की शर्तों में निर्धारित की जायेगी ।

अध्याय V

आयोग की "सिटिंग"

"सिटिंग की आवश्यकता"

54. जब आयोग को सीधे किसी मामले का अन्वेषण करना हो तो वह आयोग की "सिटिंग" बुला कर ऐसा कर सकता है । ऐसी "सिटिंग" के लिए सारे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी ।

उपस्थित होने वाले अधिकारी

55. जब कभी सदस्य "सिटिंग" कर रहा/रहे हों तो यह आवश्यक होगा कि "सिटिंग" करने वाले सदस्य/सदस्यों द्वारा ठीक ढंग से कार्य सम्पन्न करने में सहायता के लिए आयोग का एक अधिकारी, जो अनुसंधान अधिकारी/अनुभाग अधिकारी से नीचे स्तर का न हो तथा जिसे इस कार्य के लिए विधिवत् नामित किया गया हो, उपस्थित हो । सदस्य/सदस्यों द्वारा इच्छा व्यक्त करने पर उस अधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वह रिपोर्ट तैयार करने में उसकी सहायता करे । निर्धारित कार्यविधि का अनुसरण करने में सदस्य/सदस्यों की सहायता करने के लिए भी वह अधिकारी उत्तरदायी होगा ।

"सिटिंग" की आवृत्ति

56. आयोग की "सिटिंग" जब कभी आवश्यक हो आयोजित की जा सकती है । आयोग देश के विभिन्न भागों में एक साथ एक से अधिक "सिटिंग" कर सकता है जिनमें विभिन्न सदस्य अलग-अलग काम निपटायेंगे ।

"सिटिंग" का कार्यक्रम

57. प्रत्येक माह में मुख्यालय एवं अन्य स्थानों पर होने वाली "सिटिंग" का कार्यक्रम सामान्यतः पहले ही बना लिया जाएगा तथा उसे विधिवत् परिचालित किया जाएगा ।

साक्षियों के व्ययों की अदायगी

58. आयोग उन व्यक्तियों के यात्रा व्ययों की अदायगी करेगा जिन्हें "समन" देकर आयोग की "सिटिंग" में उसके सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए बुलाया गया हो, बशर्ते कि उस व्यक्ति के निवास स्थान की दूरी आयोग की "सिटिंग" के स्थान से 8 किलोमीटर से अधिक हो । इस प्रकार अदा की जाने वाली राशि वास्तविक यात्रा व्यय एवं जितने दिन वह व्यक्ति आयोग की "सिटिंग" में उसके सम्मुख प्रस्तुत हुआ है उसने दिनों के दैनिक भत्ते तक सीमित होगी, बशर्ते कि वह व्यक्ति किसी अन्य स्रोत से यात्रा एवं दैनिक भत्ता पाने का हकदार न हो । सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के कर्मचारियों को यदि आयोग के सामने अभिसाक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए "समन" द्वारा बलाया जाता है तो उन्हें ड्यूटी पर माना जाएगा । यात्रा व्ययों की सीमा आयोग द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर परिकलित रेल भाड़ा एवं सड़क मील भत्ता के आधार पर निश्चित की जाएगी । किसी व्यक्ति के हक के बारे में किसी शक की स्थिति में सचिव का निर्णय अंतिम होगा ।

59. "सिटिंग" के लिए सदस्य से सम्बद्ध अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि यदि बैठक आयोग के मुख्यालय से भिन्न अन्य स्थान पर हो रही है तो पर्याप्त नकद राशि साथ में लाई गई है । आयोग का सचिवालय यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्यविधि तय कर सकता है कि आयोग के सम्मुख प्रस्तुत होने वाले उपर्युक्त प्रकार के दावों की नकद अदायगी व्यक्ति/व्यक्तियों को उसी स्थान पर कर दी जाए ।

60. उपर्युक्त प्रकार के यात्रा व्ययों के दावे उस व्यक्ति के मामले में स्वीकार्य नहीं होंगे जो आयोग द्वारा किसी अन्वेषण या जांच के दौरान उसके सम्मुख स्वेच्छा से प्रस्तुत होता है या किसी पत्र या सूचना के उत्तर में जो आयोग द्वारा जारी "समन" नहीं है ।

अध्याय VI

आयोग के राज्य कार्यालयों के कर्त्तव्य

61. आयोग के राज्य कार्यालयों के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे :

(1) उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्यों में आयोग के "आंख और कान" के रूप में कार्य करना;

(2) आयोग की ओर से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ कारगर पारस्परिक संबंध और सम्पर्क बनाना;

(3) आयोग की ओर से राज्य स्तरीय सलाहकार परिषदों/समितियों/निगमों आदि में भाग लेना;

(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और प्रगति के लिए संघ सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में मीडिया को सूचना और प्रलेखन देना । इसी प्रकार की सूचना और प्रलेखन ऐसे संगठनों से प्राप्त करना और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों पर राज्य में प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण विकास, सामाजिक गतिविधियों, नीति-परिवर्तन आदि के बारे में सूचना/प्रलेखन आयोग के मुख्यालय को उपलब्ध करवाना;

(5) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अनुसंधान अध्ययनों और किसी अन्य विकास कार्य के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों तथा संबंधित राज्य सरकारों, विदेशी सहायता अभिकरणों आदि से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे/स्वयंसेवी तथा गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण का अनुवीक्षण करना और सहयोग देना ;

(6) उनके द्वारा स्वयं अथवा मुख्यालय द्वारा समय-समय पर उनको सौंपे गए अनुसंधान अध्ययन, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, सर्वेक्षण आदि का संचालन करना ;

(7) उनके द्वारा स्वयं अथवा मुख्यालय द्वारा उनको सौंपे गए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचार के मामलों की स्थलीय जांच करना और संबंधित प्रशासनिक/पुलिस प्राधिकारियों से विचार-विमर्श करना तथा मुख्यालय को सूचना देना ;

(8) व्यक्तियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संस्थाओं आदि से विभिन्न विषयों पर प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों का निपटान करना;

(9) भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 की धारा 5 के अधीन निर्धारित किए गए के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना ;

(10) एस.सी.पी., टी.एस.पी. तथा एम.सी.ए. के विशेष संदर्भ में राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित मुद्दों को एकत्र करना, संकलित करना, विश्लेषण करना तथा अनुवीक्षण करना और उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों संबंधित रिपोर्टों का मसौदा तैयार करना ;

(11) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, शिक्षा, विकास आदि का एक विस्तृत और अद्यतन आंकड़ा आधार तैयार करना और बनाए रखना ;

(12) आयोग अथवा सचिव अथवा इस संबंध में अधिकार प्राप्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा राज्य कार्यालय/कार्यालयों को विशेष रूप से निर्दिष्ट/सौंपे गए किसी अन्य कर्त्तव्य का पालन करना ।

अध्याय VII

आयोग की परामर्शी भूमिका

आयोग के राज्य सरकारों के साथ पारस्परिक सम्बन्ध

62. आयोग अपने सदस्यों, सचिवालय एवं राज्य कार्यालयों के माध्यम से राज्य सरकारों से पारस्परिक सम्बन्ध रखेगा ।

63. किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का प्रभारी सदस्य बैठकों, व्यक्तिगत संपर्कों, मुलाकातों और पत्रव्यवहार के द्वारा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से पारस्परिक सम्बन्ध रखेगा । इस संबंध में सूचना संबंधित विभाग/संगठन को काफी समय पहले भेजी जाए तथा राज्य कार्यालयों को भी इसके बारे में सूचना भेजी जानी चाहिए । इसके लिए आयोग द्वारा विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए

जा सकते हैं । आयोग का सचिवालय अपने संबंधित स्कंधों के माध्यम से सदस्य को आवश्यक सहायता एवं सूचना देगा जिससे वह अपना कार्य प्रभावी ढंग से कर सकें । राज्य सरकारों द्वारा सदस्य को उसकी पात्रता के अनुसार परिवहन, सुरक्षा, आवास आदि की सुविधाएं दी जानी चाहिए ।

योजना आयोग के साथ पारस्परिक सम्बन्ध

64. आयोग, योजना आयोग के साथ उपयुक्त स्तरों पर विभिन्न समितियों, कार्यकारी दलों या योजना आयोग द्वारा गठित इस प्रकार के अन्य निकायों में प्रतिनिधित्व के माध्यम से पारस्परिक संबंध रखेगा । आयोग, योजना आयोग को सामान्य या विशिष्ट पत्रों द्वारा इस आवश्यकता का संकेत देगा ।

65. आयोग, योजना आयोग से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित योजना तथा विकास की प्रक्रिया सम्बन्धी दस्तावेजों और सभी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के मूल्यांकन सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रतियां अग्रेषित करने का अनुरोध कर सकता है ।

66. आयोग अपने अध्यक्ष/सदस्यों तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष/सदस्यों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध के स्वरूप के संबंध में निर्णय कर सकता है ।

राज्य सरकारों के साथ राज्य कार्यालयों का पारस्परिक सम्बन्ध

67. आयोग के राज्य कार्यालय इस ढंग से काम करेंगे कि वे संबंधित राज्य सरकारों तथा आयोग के बीच नियमित एवं प्रभावी कड़ी बन सकें । इसके लिए आयोग राज्य सरकारों को यह सुझाव देते हुए पत्र भेज सकता है कि आयोग के राज्य कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, संरक्षण और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजना, मूल्यांकन एवं परामर्शी निकायों में, जिनमें निगम भी शामिल है, लिया जाये ।

68. राज्य कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को आयोग द्वारा निदेश या प्राधिकार दिया जा सकता है कि किसी बैठक या विचार-विमर्श से उत्पन्न किसी मुद्दे या विशिष्ट या सामान्य मामले पर वे आयोग का औपचारिक दृष्टिकोण या राय किसी राज्य प्राधिकारी को पहुंचायें ।

अनुसंधान/अध्ययन/सर्वेक्षण/मूल्यांकन

69. संघ या राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही विकास योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए आयोग अध्ययन करा सकता है। इस योजना में आयोग मुख्यालय में या राज्य कार्यालयों में अध्ययन दलों का गठन कर सकता है । अध्ययन दल स्वतंत्र रूप से अथवा केन्द्र या राज्य सरकारों के प्राधिकारियों या विश्वविद्यालयों या अनुसंधान निकायों के सहयोग से अन्वेषण, सर्वेक्षण या अध्ययन कर सकते हैं ।

70. आयोग किसी सर्वेक्षण या मूल्यांकन अध्ययन को किसी पेशेवर निकाय या व्यक्ति को सौंप सकता है जो इस प्रकार का कार्य करने के लिए उपयुक्त एवं सक्षम हो, तथा इसके लिए ऐसे निकाय या व्यक्ति को अध्ययन की लागत के रूप में शुल्क या अनुदान द्वारा उचित भुगतान कर सकता है ।

71. इस प्रकार किए गए अध्ययन या उसके सार आयोग की वार्षिक या विशेष रिपोर्ट का भाग हो सकते हैं जिसे राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाना है या जिसे आयोग अलग से प्रकाशित करना चाहे ।

72. आयोग ऐसे अध्ययन रिपोर्ट की एक प्रति सम्बन्धित संघ या राज्य सरकार को अग्रेषित कर सकता है और उस पर उसकी टिप्पणी मंगा सकता है । संघ या राज्य सरकार की टिप्पणी या उसके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का भाग हो सकती है ।

अध्याय VIII

आयोग की अनुवीक्षण (मॉनिटरिंग) कार्य

आयोग द्वारा अनुवीक्षण के विषयों का निर्धारण

73. आयोग समय-समय पर निश्चित करेगा कि संविधान या वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षणों और अन्य आर्थिक-सामाजिक विकास उपायों से संबंधित किन विषयों या मामलों और क्षेत्रों का अनुवीक्षण किया जाए ।

विवरणियां (रिटर्न) एवं रिपोर्टें निर्धारित करना

74. आयोग जिस विषय का अनुवीक्षण कर रहा है उसके लिए उत्तरदायी या उस पर नियंत्रण रखने वाले किसी प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए आयोग आवधिक विवरणियां या रिपोर्टें निर्धारित कर सकता है ।

75. आयोग समय-समय पर अपने राज्य कार्यालयों को किसी विशेष विषय या मामले पर राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, नियमित निकायों, या किसी अन्य प्राधिकारी से जिस पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को दिए गए सुरक्षणों को लागू करने का भार है, सूचना एवं आंकड़े एकत्र करने का अनुदेश दे सकता है ।

76. आयोग अपने राज्य कार्यालयों को सूचना या आंकड़ों का अध्ययन करने का निर्देश दे सकता है जिससे आंकड़ों के इस प्रकार के अध्ययन या विश्लेषण से कमियों या दोषों के संबंध में किसी निर्णय पर पहुंचा जा सके तथा उनकी ओर सम्बन्धित प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जा सके ।

77. आयोग अनुवीक्षण किए जा रहे विषयों से संबंधित आंकड़े मुख्यालय में एकत्रित करा सकता है तथा इसके लिए विवरणियां एवं रिपोर्टें निर्धारित कर सकता है। वह केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अन्य निकायों या प्राधिकारियों को, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सुरक्षण लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं, कह सकता है, कि वे इन विवरणियों और रिपोर्टों में अपेक्षित आंकड़े और सूचना आयोग के मुख्यालय को सीधा भेजें।

अनुवर्ती कार्रवाई

78. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुवीक्षण प्रभावी ढंग से किया जा रहा है, आयोग उपयुक्त नियमों के अनुसार निर्धारित सूचना प्राप्त करने तथा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद यथाशीघ्र संबद्ध प्राधिकारी को सुरक्षणों को लागू करने में पाए गए दोषों का विवरण देते हुए तथा सुधार के उपाय सुझाते हुए पत्र भेज सकता है। ऐसा पत्र भेजने का निर्णय मुख्यालय में संयुक्त सचिव/सचिव से नीचे स्तर पर नहीं लिया जाएगा राज्य कार्यालयों में प्रभारी निदेशक नेमी मामलों में निर्णय ले सकते हैं जबकि एक समूह के रूप में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हितों पर प्रभाव डाल रहे जटिल और महत्वपूर्ण मामलों पर वे सचिव और संबंधित सदस्य का अनुमोदन प्राप्त करेंगे ।

79. आयोग नियम 78 के प्रावधान के अधीन भेजे गए पत्र के अनुसरण में की गई कार्रवाई के संबंध में संबद्ध प्राधिकारी की टिप्पणी मांग सकता है।

80. संविधान या वर्तमान में लागू किसी अन्य विधि या संघ/राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त सुरक्षणों और सामाजिक-आर्थिक विकास उपायों से संबंधित विषयों के अनुवीक्षण की प्रक्रिया से प्राप्त किए गए जांच परिणामों और निष्कर्षों को आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट या किसी विशेष रिपोर्ट में सम्मिलित कर सकता है।

अध्याय IX

आयोग द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक कार्य

81. यदि कोई ऐसा विषय या मामला है जो विधि के अन्तर्गत ठीक-ठीक नहीं आता परन्तु वह इस प्रकार का है कि उसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के समूह का कल्याण अंतर्निहित है तथा इन वर्गों के लोगों के हितों के रक्षक के रूप में अपनी स्वाभाविक क्षमता के कारण आयोग के लिए उसमें कार्रवाई आवश्यक है तो ऐसे विशेष मामले में आयोग पत्राचार शुरू कर सकता है ऐसे मामलों में पत्राचार के लिए निर्णय निदेशक अथवा उससे ऊपर के स्तर पर लिया जाएगा।

82. आयोग के सभी नेमी औपचारिक पत्र किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किए जायेंगे जो अनुसंधान अधिकारी/अनुभाग अधिकारी से नीचे स्तर का नहीं होगा।

83. आयोग अपने सचिव के माध्यम से मुकदमा चला सकता है या उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

84. इन नियमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से वही अभिप्राय होगा जैसा संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड 10 में दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार के नियमों आदि की प्रयोजनयता

85. केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नियम, विनियम और आदेश जो मंत्रालयों/विभागों में लागू है आयोग में भी लागू होंगे ।

86. भारत सरकार में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित प्रावधान आयोग के सदृश अधिकारियों पर लागू होंगे ।

स्टाफ कारों का उपयोग

87. भारत सरकार के स्टाफ कार नियम आयोग में स्टाफ कारों के उपयोग पर लागू होंगे ।

इन नियमों में उल्लेख न किए गए मामलों पर निर्णय

88. यदि किसी ऐसे मामले पर प्रश्न उठता है जिसके लिए इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है तो अध्यक्ष का निर्णय मांगा जाएगा। यदि अध्यक्ष उचित समझता है तो वह आयोग की बैठक में मामले पर विचार करने का निदेश दे सकता है।

[सं० 1/2/98-सी. सैल]

ए. पार्थसारथी, सचिव

प्रपत्र I

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत एक संवैधानिक निकाय)

पांचवां तल, लोकनायक भवन,

नई दिल्ली-110003

(मूल तथ्यों को एकत्र करने के लिए नोटिस)

प्रति :

_____

_____

_____

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को —————————— में दिनांक ——— में——————————————————————शीर्षक में छपे प्रेस समाचार से याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप इस सूचना के प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या स्वयं उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से सभी तथ्य तथा आरोपों/मामलों पर की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें ।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत उसे प्रदत्त दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको "समन" जारी कर सकता है ।

हस्ताक्षर

निदेशक/अवर सचिव/उप निदेशक/सहायक निदेशक/
अनुसंधान अधिकारी/अनुभाग अधिकारी

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग

दिनांक : ——————————

प्रपत्र II

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

समन

पत्र सं. :

पांचवां तल, लोकनायक भवन,
नई दिल्ली-110003

प्रति :

——————————————————
——————————————————
——————————————————

चूंकि राष्ट्रीय आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामले का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय आयोग के समक्ष दिनांक————19———— को ——————————बजे में आपकी उपस्थिति एतद्द्वारा अपेक्षित है । आप राष्ट्रीय आयोग द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज अपने साथ लायें ।

मामले का संदर्भ :

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे ।

————————————————————19——————के ——————————————

दिन मेरे हस्ताक्षर और दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आयोग की मुहर से दिया गया ।

मुहर

न्यायालय अधिकारी

प्रपत्र III

(साक्षी को गिरफ्तार करने का वारंट)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

पांचवां तल, लोकनायक भवन,
नई दिल्ली-110003

प्रति :

————————————
————————————
————————————

चूंकि ————————————निवासी ———————————— को विधिवत् "समन" भेजा गया था पर वह उपस्थित नहीं हुए ("समन" से बचने के लिए फरार या अप्राप्य रहे) अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 338(8) के अन्तर्गत दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग एतद्द्वारा आपको आदेश देता है कि आप कथित ———————————— को गिरफ्तार कर नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें ।

आपको आगे आदेश दिया जाता है कि आप ————————19————————के ———— दिन या उससे पहले इस वारंट को पृष्ठांकन के साथ वापस करें और प्रमाणित करें कि इस वारंट पर किस दिन और किस प्रकार कार्यान्वयन किया गया है और यदि कार्यान्वयन नहीं किया गया है तो उसका कारण बतायें।

————————19————————के ————————दिन मेरे हस्ताक्षर और दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आयोग की मुहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

मुहर

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

New Delhi, the 7th March, 1999

G.S.R. 184.—RULES OF PROCEDURE OF THE NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

CHAPTER 1

GENERAL

Constitution of the Commission

1. The National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (hereinafter called the commission) has been constituted under Article 338 of the Constitution of India as amended by the Constitution (Sixty-fifth Amendment) Act, 1990. The Commission shall consist of a Chairperson, a Vice-Chairperson and five other Members.

Headquarters of the Commission

2. The Headquarters of the Commission shall be located at New Delhi.

State Offices of the Commission

3. The Commission shall have under its control the following State Offices :

Location	Jurisdiction
1. Agartala	Tripura
2. Ahmedabad	Gujarat, and UT of Dadra and Nagar Haveli
3. Bangalore	Karnataka
4. Bhopal	Madhya Pradesh
5. Bhubaneswar	Orissa
6. Calcutta	West Bengal, Sikkim and UT of A & N Islands
7. Chandigarh	Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, J & K and UT of Chandigarh
8. Guwahati.	Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland
9. Hyderabad	Andhra Pradesh
10. Jaipur	Rajasthan
11. Lucknow	Uttar Pradesh

12. Madras	Tamil Nadu and UT of Pondicherry
13. Patna	Bihar
14. Pune	Maharashtra, Goa and UT of Daman & Diu
15. Shillong	Meghalaya and Mizoram
16. Thiruvananthapuram	Kerala and UT of Lakshadweep and Minicoy Islands

4. The Commission may, if considered necessary, open new offices and sub-offices and upgrade or downgrade the status and change the jurisdiction of any of its State Offices.

5. The functions and responsibilities of the Commission as laid down in the Constitution are :

(a) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Government and to evaluate the working of such safeguards ;

(b) to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(c) to participate and advise on the planning process of socio-economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to evaluate the progress of their development under the Union and any State ;

(d) to present to the President, annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards ;

(e) to make in such reports recommendations as to the measures that should be taken by the Union or any State for the effective implementaion of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; and

(f) to discharge such other functions in relation to the protection, welfare and development and advancement of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as the President may, subject to the provisions of any law made by Parliament, by rule specify.

6. The Commission shall function by holding 'sittings' and 'meetings' at any place within the country and also through its officers at the Headquarters and in the State Offices. The Members of the Commission including the Chairperson and the Vice-Chairperson shall function in accordance with the procedure prescribed under these rules.

CHAPTER II

Division of responsibilities and allocation of work

Chairperson

7. The Chairperson shall be the head of the Commission and shall have the residuary powers to decide on all questions and matters arising in the Commission excepting such matters where specific provision has been made in these rules.

8. The Chairperson shall allocate subjects and responsibilities among the Members of the Commission. The Order allocating the subjects and responsibilities shall be circulated to all concerned by the Secretariat of the Commission.

9. The Chairperson shall be the authority to sanction leave and approve tours of the Members.

10. The Chairperson shall preside over the meetings of the Commission.

11. All important decisions in the Commission pertaining to the subjects allotted to the Members shall be taken with the approval of the Chairperson.

12. The Chairperson may call for any records on any matter which he considers important and may take a decision on it himself or, if necessary, place it at the meeting of the Commission.

Vice-Chairperson

13. The Vice-Chairperson shall preside over the meetings of the Commission in the absence of the Chairperson.

14. The Vice-Chairperson shall perform such functions as are entrusted to him by the Chairperson.

Members

15. The Members of the Commission shall have collective responsibility and shall function by participating in the 'meetings' and 'sittings' of the Commission and looking after the subjects allocated to them. Important actions and decisions of a Member may be brought at a meeting of the Commission which may review the same.

16. Any Members may suggest items for inclusion in the agenda of a meeting of the Commission and the same shall be so included after obtaining the consent of the Chairperson.

17. Each Member shall have overall responsibility of subjects and/or regions or State(s) as may be allocated to him.

18. The Members shall play the role of advising the State Governments under their jurisdiction on matters of planning and development relating to the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Commission's Secretariat at Hqrs. and the State Offices shall assist the Members in keeping them fully informed of the problems and activities of the States and subjects under their respective charge.

19. One or more Members may, in accordance with the procedure specified in he rules elsewhere, hold sittings of the Commission to give hearing to the cases or to collect evidence or information on any matter, issue or case under investigation or inquiry by the Commission.

20. The Members shall communicate their tour programmes well in advance to the State Offices indicating in detail the purpose of the visit and to the State Government Department and others concerned for discussions/inquiry, etc., during the tour/visit. The Members will observe the norms laid down by the State Governments regarding security/travel/accommodation etc., during such tours.

Secretary

21. The Secretary shall be the administrative head of the Commission and shall assist the Commission in the discharge of its functions with the assistance of the officers of the Commission.

22. All important administrative matters shall be placed before the Secretary who may pass general or specific orders on such matters.

23. The Secretary shall be responsible for having the agenda prepared for the meetings of the Commission and for circulating the minutes.

24. The Secretary shall assist the Commission in finalising the Reports.

25. The Secretary may, in his discretion, delegate any of his funcions or authority to a subordinate officer of the Secretariat.

CHAPTER III

INVESTIGATION AND INQUIRY BY THE COMMISSION

Methods of investigation and inquiry

26. The Commission may adopt any one or more of the following methods for investigating or inquiring into the matters falling within its authority :

(a) by the Commission directly ;

(b) by an Investigating Team constituted at the Headquarters of the Commission;

(c) through its State Offices.

Investigation and Inquiry by the Commission directly

27. The Commission may hold sittings for investigation into matters relating to safeguards, protection, welfare and development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes or for inquiring into specific complaints for which the Commission decides to take up investigation or inquiry directly. Such sittings may be held either at the Headquarters of the Commission or at any other place within the country.

28. The sitting(s) of the Commission would be held after giving due notice to the parties intended to be heard and also due publicity notice to the general public. Care will be taken to see that the members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes who are affected in the matter under investigation or inquiry are given due information through notice or publicity.

29. When a decision for direct investigation is taken, an officer not below the rank of Research Officer/Section Officer along with necessary staff may be attached to the Member(s) entrusted with such investigation or enquiry and they shall take all steps to arrange such sittings.

30. During the course of the investigation or inquiry the Commission, acting through such a sitting, may take evidence on oath or receive affidavits. When considered necessary, the Commission, for the purpose of taking evidence in the investigation or inquiry, require the presence of any person and may issue summons to him. The summons shall provide at least fifteen days' notice to the person directed to be present before the Commission from the date of receipt of the summons.

31. Where the property, service/employment of SCs and STs and other related matters are under immediate threat and prompt attention of the Commission is required, the matter shall be taken cognizance by issue of telex/fax to the concerned authority for making it known to them that the Commission is seized of the issue. Urgent reply by telegram or fax shall be called from the concerned authority. In case no letter is received within a week, the authority concerned shall be summoned at a short notice for enquiry.

32. The Commission may issue commission to take evidence in any matter under investigation or inquiry and for this purpose appoint any person by an order in writing. The Commission may make further rules for payment of fee and travelling and other allowances to persons appointed to take evidence on commission.

33. After holding the required sittings, the Member(s) who conducted the investigation shall make a report which shall be sent to the Secretary or any other officer authorised to receive the report. After examination, action may be initiated on the report with the approval of the Chairperson.

Investigation or inquiry by an Investigation Team constituted at the Headquarters of the Commission

34. The Commission may decide about the matter that is to be investigated or enquired into by an Investigating Team of officials of the Commission, provided that in case the matter is urgent, the decision for such investigation or inquiry may be taken by the Chairperson.

35. The Investigating Team shall hold the investigation or inquiry, as the case may be promptly and for this purpose may initiate necessary correspondence including issuance of notices for production of documents in Form I.

36. The Investigating Team may visit the area concerned after observing due formalities for obtaining approval of tours and other administrative requirements and after giving information to the concerned local authorities regarding the matter, purpose, scope and procedure of the investigation or inquiry. The Investigating Team may enlist the help of the officers and staff of the concerned State Office but the responsibility of preparing and presenting the report shall rest with the head of the Investigating Team.

37. The Investigating Team shall submit the report of the investigation or inquiry, as the case may be, to the Secretary or a subordinate officer of the Commission as may be directed by general or specific orders within the stipulated time, if any. If the time limit stipulated is likely to be exceeded the head of the Investigating Team shall obtain the orders of the Secretary through the Officer-in-Charge of the matter. The report shall be examined and put up to the competent authority for a decision regarding the action to be taken on the report.

38. The report shall be placed before the Chairperson of the Commission who will take appropriate action in the matter.

Investigation and inquiry through the State Offices

39. The Chairperson, the Vice-Chairperson, the Members having jurisdiction over the subject or the Secretary of the Commission may decide about an investigation or inquiry that may be carried out through the State Offices of the Commission. The decision will be conveyed to the Officer-in-Charge of the concerned State Office who will be asked to get the matter investigated or inquired into within a stipulated time and send the report. The State Office shall conduct the investigation or inquiry through interrogation, on the spot visit, discussions and correspondence and examination of documents as may be necessary in the case and shall follow any special or general instructions issued in the matter by the Secretariat of the Commission from time to time.

40. If the investigation or inquiry cannot be completed within the stipulated time the Officer-in-charge of the State Office may send a communication to the Secretariat of the Commission before the expiry of the stipulated time and explain the circumstances and reasons for non-completion of the investigation or inquiry, as the case may be, within the stipulated time. The Secretary to the Commission or an officer acting under delegated functions may consider the request and communicate a revised date for the completion of the investigation or inquiry.

41. If during the course of investigation or inquiry the head of the State Office feels that it is necessary to invoke the powers of the Commission, to require the production of any document or compelling the attendance of a person, he may make a special report with full facts to the Secretariat of the Commission. On receipt of such special report the matter shall be placed before the Secretary/Member-in-Charge of the subject/State/UT who may make an order that necessary legal processes to compel attendance or to require production of any document may be issued. The summons and warrants issued for the purpose may be served on the person concerned either directly or through the Officer-in-Charge of the State Office as may be directed by the Secretary/Member authorising issue of such legal process.

42. After completion of the investigation or inquiry, as the case may be, the head of the State Office shall submit the report to the Secretary of the Commission suggesting the course of action that could be followed in the matter. The gist or findings of the report may be placed before the Secretary who may decide about further action in the matter. Confidentiality of certain reports.

43. The Commission may, through a decision at a meeting or otherwise, direct that the contents of any report made on any matter shall be kept confidential and shall not be revealed to any person other than those who have been authorised access to such report.

Legal processes

44. All summons and warrants that are required to be issued in pursuance of the exercise of the powers of a Civil Court by the Commission shall be written in the prescribed form and shall bear the seal of the Commission. The legal process shall be issued from the Legal Cell of the Commission and shall bear its seal. The provisions of the Code of Civil Procedure applicable for the service of the legal processes shall be followed by the Commission.

Issue of letters and notices

45. Letters and notices requiring production of documents which are issued without exercising the powers of the Civil Court by the Commission may be signed by an officer not below the rank of Research Officer/Section Officer.

Form of summons and warrants

46. The summons and warrants shall be as provided in Forms II and III respectively, appended to these rules.

CHAPTER IV

MEETINGS OF THE COMMISSION

Frequency of meetings

47. The Commission shall meet at least once in two months. The notice for a meeting shall normally be issued two weeks in advance. Emergent meetings may also be called by the Chairperson either on his own or on the request of a Member or the Secretary for disposing of important matters requiring urgent consideration by the Commission.

Quorum

48. The Chairperson or the Vice-Chairperson and two other Members shall form the quorum for holding a meeting of the Commission.

Matters requiring decisions by the Commission at its meetings

49. The following matters shall be brought up before the Commission at a meeting for consideration and decision :

(i) any amendment to these Rules of Procedure;

(ii) matters to be investigated by the Commission directly;

(iii) all the reports that are required to be considered by the Commission as provided in these rules;

(iv) any matters that a Member may like to bring to the meeting, with the approval of the Chairperson;

(v) important matters relating to planning and development for the welfare and advancement of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and specially references received under Article 338(9) of the Constitution; and

(vi) any matter that the Chairperson may direct to be placed at a meeting of the Commission.

Agenda for the meeting

50. The agenda will normally be circulated to all the Members at least seven days before the date of the meeting, provided that for an Emergent meeting this time limit may not apply.

51. The minutes of a meeting shall be circulated as soon as possible to all the Members.

Place of meeting of the Commission

52. Normally the place of meeting of the Commission shall be the Headquarters of the Commission at New Delhi. The Commission may, however, decide to hold a meeting at any other place in India.

Fee

53. The Chairperson, the Vice-Chairperson and the Members shall not be entitled to any fee for sitting in the meeting of the Commission. However, the entitlement of Part-time Members, if any, may be determined by the terms of appointment of such Members.

CHAPTER V

SITTINGS OF THE COMMISSION

Need for sittings

54. Whenever a matter is to be investigated into directly by the Commission it may do so by holding sittings of the Commission. In the case of such sittings the presence of all the Members may not be necessary.

Officers to be present

55. Whenever a Member(s) is holding a sitting, an Officer of the Commission, not below the rank of Research Officer/Section Officer, duly deputed for the purpose shall be present to assist the Member(s) holding the sitting to discharge the functions properly and promptly. It shall be the duty of the officer to assist the Member(s) in preparing the report if called upon to do so by the Member(s). The Officer shall also be responsible for assisting the Member(s) in following the prescribed procedure.

Frequency of sitting(s)

56. Sittings of the Commission may be held as and when necessary. The Commission may hold more than one sitting simultaneously in different part of the country with different Members functioning separately.

Programme of the sittings

57. The programme of the sittings, both at the Headquarters and at other places, would normally be worked out each month in advance and duly circulated.

Defraying expenses to witnesses

58. The Commission may defray travelling expenses to persons who have been called through summons to appear before the Commission in a sitting, provided that the place of residence of one person is more than 8 Kms. from the place of the sitting of the Commission. The amount so defrayed shall be limited to the actual travelling expenses plus Daily Allowance for the number of days that the person has appeared before the Commission in its sitting, provided that the person is not entitled to travelling and daily allowance from any other source. Persons who are employees of the Government/Public Sector Undertaking shall be deemed to be on duty if they are summoned to depose before the Commission or produce documents. The limit of travelling expenses shall be determined on the basis of the rail fare and road mileage calculated on the basis of the rates that may be prescribed by the Commission. In the case of any doubt regarding the entitlement of the person the decision of the Secretary of the commission shall be final.

59. The officer attached to the Member for the purposes of the sitting shall take steps to ensure that sufficient cash amount is carried if the sitting is held at a place other than the Headquarters of the Commission. The Secretariat of the Commission may devise a suitable procedure to ensure that such claims as above are paid on the spot and in cash to the person(s) so appearing.

60. The claim for travelling expenses as above shall not be admissible in the case of a person who appears before the Commission during any investigation or enquiry on his own accord or in response to a communication or notice which is not a summon issued by the Commission.

CHAPTER VI

DUTIES OF THE STATE OFFICES OF THE COMMISSION

61. It shall be the duty of the State Offices of the Commission :

(i) To act as the "eyes and ears" of the Commission in the State(s) of their jurisdiction.

(ii) To maintain effective interaction and liasion with State Government/UT Administrations on behalf of the Commission.

(iii) To serve on State Level Advisory Councils/Committees/Corporations, etc. on behalf of the Commission.

(iv) To provide information and documentation about the policies and programmes of the Union Government

for the welfare and advancement of SCs & STs to the States, NGOs, Media in their respective jurisdiction. Obtain similar information and documentation from such organisations and provide to the Headquarters of the Commission information/documentation about important developments, social movements, policy changes etc. in the State affecting the interest of SCs & STs.

(v) To monitor and assist the working of voluntary and other non-governmental organisations receiving grant-in-aid from the Ministry of Social Justice and Empowerment as also other Ministries/Departments of the Central Government and the concerned State Governments, Foreign Aid Agencies etc., for Research Studies and any other development work relating to SCs and STs.

(vi) To conduct Research Studies, Seminars, Conferences, Surveys etc. either on their own or as entrusted to them by Hqrs. from time to time.

(vii) To conduct on the spot inquiries into cases of atrocities on SCs & STs either on their own or as entrusted to them by Headquarters and interact with the concerned Administrative/Police authorities having jurisdiction and report to the Hqrs.

(viii) To deal with complaints/representations from individuals, SC/ST Welfare Associations, etc., on various matters.

(ix) To participate and advise in the planning process for socio-economic development of the SCs/STs as envisaged under clause 5 of Article 338 of the Constitution of India.

(x) To collect, compile, analyse and monitor issues pertaining to development of SCs & STs in the States especially with reference to SCP, TSP and SCA, and prepare drafts of Reports pertaining to the State/UT under their jurisdiction.

(xi) To prepare and maintain a comprehensive and upto-date data base of SC/ST population, education, development etc. in the State/UT; and

(xii) To perform any other duty specifically assigned/entrusted to the State Office(s) by the Commission or the Secretary or any other officer empowered in this regard.

CHAPTER VII

ADVISORY ROLE OF THE COMMISSION

Interaction of the Commission with the State Governments

62. The Commission shall interact with the State Governments through its Members, Secretariat and the State Offices.

63. The Member in charge of the State/UT would interact with the State Government/U.T. Administration through meetings, personal contacts, visits and correspondence. The information in this regard may be sent to the concerned Deptt./Organisations well in advance and the State Offices should also be informed about the same. For this purpose, detailed guidelines may be formulated by the Commission. The Secretariat of the Commission through its concerned Wing(s) would provide necessary assistance and information to the Member for enabling him to discharge his functions effectively. The State Governments should provide facilities for transport, security, accommodation etc. to the Member as per his entitlement.

Interaction with the Planning Commission

64. The Commission shall interact with the Planning Commission at appropriate levels through representation in the various Committees, Working Groups or other such bodies set up by the Planning Commission. The Commission shall indicate this requirement through general or specific communication to the Planning Commission.

65. The Commission may request the Planning Commission to forward copies of all the documents concerning the process of planning and development and evaluation of all programmes and schemes touching upon the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

66. The Commission may decide about the manner of interaction between the Chairperson/Members of the Commission and the Deputy Chairman/Members of the Planning Commission.

Interaction of the State Offices with the State Governments

67 The State Offices of the Commission shall work in a manner so as to provide a regular and effective link between the State Governments concerned and the Commission. For this purpose the Commission may send communications to the State Governments suggesting that he officer-in-charges of the State Offices of the Commission may be taken on important Planning, Evaluation and Advisory Bodies including Corporaions concerned with the welfare protection and development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

68. The officer-in-charge of the State Offices may be directed or authorised by the Commission to convey to any State Authority the formal views, opinion or approach of the Commission on any specific or general matter or issue arising at any meeting or deliberation.

Research/Studies/Surveys/Evaluation

69. The Commission may undertake studies to evaluate the impact of the development schemes on the socio-economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes taken up by the Union or Stae Governments. For his purpose the Commission may constitute Study Teams either at the Headquarters or at the State Offices. The Study Teams may undertake investigations, surveys or studies either in collaboration with the Central or State Government authorities or Universities or Research Bodies, as the case may be, or may do so indeendently.

70. The Commission may entrust surveys or evaluation studies to any professional body or person considered suitable and competent to undertake such work and for this purpose may make any reasonable payment to such body or person towards the cost of the study by way of fee or grant.

71. The studies so undertaken or their gists may form part of the Annual or Special Report of the Commission to be presented to the President or may be published seperately by the Commission.

72. The Commission may forward a copy of such a study report to the Union or the State Government concerned, as the case may be, asking for their comments, if any. The comments or action taken reports by the Union/State Government may also form part of the Annual Report of the Commission.

CHAPTER VIII

MONITORING FUNCTIONS OF THE COMMISSION

The Commission to determine subjects for monitoring

73. The Commission may determine from time to time the subjects or matters and areas that it would monitor relating to safeguards and other socio-economic development measures provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Government.

Prescribing returns and reports

74. The Commission may prescribe periodical returns or reports to be furnished by any authority responsible for or having control of the subject-matter of which monitoring is being done by the Commission.

75. The Commission may from time to time issue instructions to its State Offices to collect information and data on any particular subject or matter from the State Governments, Local Bodies, Corporate Bodies or any other authorities

which is charged with the implementation of the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

76. The Commission may direct its State Offices to process the information or data in the State Offices with a view to arriving at conclusion with regard to the deficiencies or shortcomings discovered through such processing or analysis of the data and to bring these to the notice of the concerned authority for comments and rectification, where necessary.

77. The Commission may have data, relating to the subject monitored collected at the headquarters and may prescribe returns and reports for the purpose to be sent directly to its Headquarters by the Ministries/Departments of the Central Government or a State Government or Public Sector Undertaking or any other body or authority which is charged with the responsibility of implementing safeguards relating to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Follow-up action

78. In order to ensure that monitoring is done effectively the Commission, after getting the information as prescribed in the above rules and after reaching conclusions, may as early as possible send out communications to the concerned authority describing the shortcomings that have been noticed in the implementation of the safeguards and suggesting corrective steps. Decisions on sending out such a communication may be taken at a level not lower than that of Joint Secretary/Secretary at Hqrs. Directors-in-charge of State Offices may take decisions on routine matter whereas they will seek approval of the Secretary and the concerned Member on complex and important matters effecting the interest of SCs and STs, as a group.

79. The Commission may ask for the comments of the concerned authority on the action taken in pursuance of the communications sent under the provision of Rule 78.

80. The Commission may include in its Annual report or any Special Report findings and conclusions arrived at through the process of monitoring of the subjects relating to the safeguards and socio-economic development measures provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Union/State Government.

CHAPTER IX

Non-formal actions by the Commission

81. The Commission may initiate correspondence in special cases in matters or cases which are not strictly covered under the law if the matter is such that the welfare of an individual person belonging to a Scheduled Castes or Scheduled Tribes or that of a group of such persons is involved and it is necessary for the Commission in its inherent capacity as the protector of the interests of these classes of persons, to take action. The decision for correspondence on such matter shall be taken at the level of Director or above.

82. All routine formal communications from the Commission shall be issued under the signatures of an Officer not below the rank of Research Officer/Section Officer.

83. The Commission can sue or be sued through its Secretary.

84. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes in these rules will have the same connotation as is given in Clause 10 of Article 338 of the Constitution.

Applicability of rules, etc., of the Central Government

85. All rules, regulations and orders issued by the Cetral Government and applicable in the Ministries/Departments will also apply in the Commission.

86. The provisions relating to the delegation of financial powers in the Government of India shall apply to the corresponding officers in the Commission.

Use of Staff cars

87. The Staff Car Rules of the Government of India shall apply for the purposes of utilisation of staff cars in the Commission.

Decision on matters not specified in these rules

88. If a question arises regarding any such matter for which no provision exists in these rules, the decision of the Chairperson shall be sought. The Chairperson may, if deems fit, direct that the matter may be considered at a meeting of the Commission.

[No. 1/2/98-C.Cell]

A. PARTHASARTHI, Secy.

FORM I

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

(A Constitutional body under Article 338 of the Constitution of India)

5th Floor, Loknayak Bhawan
New Delhi-110003

(Notice for collecting basic facts)

To

Whereas a Petition/complaint/information has been received by the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes from————————press news under caption————————appearing in————————dated———— as enclosed and the Commission has decided to investigate/inquire into the matter in pursuance of the powers conferred upon it under Article 338 of the Constitution of India, you are hereby requested to submit the facts and information on the action taken on the allegations/matters to the undersigned within 30 days of receipt of this notice either by post or in person or by any other means of communication

Please take notice that in case of the Commission does not receive reply from you within the stipulated time, the Commission may exercise the powers of Civil Courts conferred on it under Article 338 of the Constitution of India and issue summons for your appearance in person or by a representative before the Commission.

Signature

Director/Under Secretary/Dy. Director/Assistant Director/
Research Officer/Section Officer

National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

Dated————

FORM II

BEFORE THE NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

(A Constitutional body exercising powers of Civil Court under Article 338 of the Constitution of India)

SUMMONS

File No.:

5th Floor, Loknayak Bhawan
New Delhi-110003

To

Whereas the National Commission has decided to investigate into the following matter in pursuance of powers conferred upon it under Article 338 of the Constitution of India, your attendance is hereby required in person to appear before the National Commission on the————of————19————at————hours at ————. You are required to bring with you the connected documents for examination by the National Commission.

Case reference.

If you fail to comply with this order without lawful excuse, you shall be subjected to the consequences of non-attendance laid down in Rule 12 of Order XVI of Code of Civil Procedure, 1908.

Given under my hand and seal of the National Commission for SCs & STs exercising powers of Civil Court this ————of————19—.

Court Officer

SEAL

FORM III

(Warrant of arrest of witness)

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

(A Constitutional body exercising powers of Civil Court under Article 338 of the Constitution of India)

Loknayak Bhawan (Floor V)
New Delhi-110003

To

Whereas————r/o————has been duly served with a summons but has failed to attend (absconds and keeps out of the way for the purpose of avoiding service of a summons), the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes exercising powers of a Civil Court under Article 338(8) of the Constitution of India hereby order you to arrest and bring the said————before the National Commission at New Delhi.

You are further ordered to return this warrant on or before the————day of———— —19—— with an endorsement certifying the day and the manner in which it has been executed, or the reason why it has not been executed.

Given under my hands and the seal of the National Commission exercising powers of Civil Court, this———— of————19—.

Signature

SEAL

Printed by the Manager Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1999